

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL  
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

**ORIGINAL APPLICATION NO. 177 OF 2022**

**(Under Section 18(1) read with Sections 14 and 15 of the National  
Green Tribunal Act, 2010)**

**IN THE MATTER OF:**

**ABHIST KUSUM GUPTA**

**... APPLICANT**

**VERSUS**

**STATE OF UTTAR PRADESH**

**AND ORS.**

**... RESPONDENTS**

**INDEX**

<b>Sl.</b>	<b>Particulars</b>	<b>Page No.</b>
1.	Action Taken Report (Sixth Report) on behalf of Yamuna Expressway Industrial Development Authority/Respondent No. 10, along with supporting affidavit.	1-28
2.	<b>Annexure – A1</b> Super imposed map and Google Map image of Khasra No. 601, Village – Moonjkhera	29-30
3.	<b>Annexure – A2</b> A copy of the letter dated October 07, 2022	31-34
4.	<b>Annexure – A3</b> A copy of the CEO's Office Order dated October 28, 2022	35-
5.	<b>Annexure – A4</b> A list of the ponds (along with the village and expenditure) of which YEIDA has completed the rejuvenation.	36-37

6.	<b>Annexure – A5</b> The photographs of some of the ponds where the rejuvenation work has been completed.	38-47
7.	<b>Annexure – A6</b> A list of the ponds (along with the village and expenditure) of which YEIDA is currently undertaking rejuvenation	48
8.	<b>Annexure – A7</b> A list of ponds where the e-tender process is currently on-going	49
9.	<b>Annexure – A8</b> A list of the ponds (along with the village) of which NGOs have completed the rejuvenation work	50
10.	<b>Annexure – A9</b> A copy of the Government Order dated June 03, 2016 bearing reference number 32/744/AK-1-2016-20(5)/2016	51-66
11.	<b>Annexure – A10</b> A copy of the Office Order dated November 23, 2022 issued by the Office of the District Magistrate, Gautam Budh Nagar	67
12.	<b>Annexure – A11</b> A copy of the minutes of meeting for the District Wetland Committee meeting dated April 24, 2025, May 14, 2025, and June 13, 2025	68-73
13.	Proof of Service	74

**J. SAGAR ASSOCIATES**  
**ADVOCATES FOR THE RESPONDENT NO. 10**  
**B-303, 3RD FLOOR, ANSAL PLAZA,**  
**HUDCO PLACE, AUGUST KRANTI MARG**  
**NEW DELHI 110049**  
**+91-8447507345**  
**pranav.tanwar@jsalaw.com**

DATE: 15 JULY 2025  
PLACE: NEW DELHI

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL  
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 177 OF 2022  
(Under Section 18(1) read with Sections 14 and 15 of the  
National Green Tribunal Act, 2010)

**IN THE MATTER OF:**

ABHIST KUSUM GUPTA ... APPLICANT

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH  
AND ORS. ... RESPONDENTS

**ACTION TAKEN REPORT (SIXTH REPORT) ON  
BEHALF OF YAMUNA EXPRESSWAY INDUSTRIAL  
DEVELOPMENT AUTHORITY/ RESPONDENT NO. 10**

**MOST RESPECTFULLY SHOWETH:**

1. That the present Original Application (“O.A.”) seeks directions for conservation, management, rejuvenation and removal of alleged encroachment over water bodies/ponds in the District of Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh.

***Background of the matter:***

2. Vide order dated April 08, 2022, this Ld. Tribunal constituted a Joint Committee comprising concerned

officers of the state administration and directed the Joint Committee to submit a factual and action taken report in respect of water bodies included in the list annexed to the O.A as Annexure A-6 [pg. 58-111 of the O.A.].

3. On August 04, 2022, the Joint Committee submitted its findings and report dated August 02, 2022 to this Ld. Tribunal (“**Joint Committee Report**”). At the hearing held on September 06, 2022, the Tribunal took note of the Joint Committee Report and observed that:

- 3.1. The Joint Committee sought reports only from the revenue authorities, and that status of all the ponds were not verified individually;
- 3.2. There is no mention regarding the measures taken for conservation and restoration of ponds.

Having regard to the facts of the case, this Ld. Tribunal decided to implead Yamuna Expressway Industrial Development Authority (“**YEIDA**”) as well as Uttar Pradesh State Ground Water Department and Greater Noida Industrial Development Authority.

4. After being impleaded, YEIDA, represented by its counsels and higher officials, appeared before this Ld. Tribunal from time to time. YEIDA informed the Ld. Tribunal about the proactive measures undertaken by it to conserve, rejuvenate, and restore ponds, within its jurisdiction. Additionally, YEIDA emphasized on the significance of preserving water bodies and expressed its commitment to this cause.
  
5. Vide its orders dated October 12, 2022, February 08, 2023, October 12, 2023, January 18, 2024, and March 19, 2024, this Ld. Tribunal directed YEIDA and other authorities to file a reply and action taken report(s). In due compliance with the said orders, YEIDA filed detailed action taken reports on January 11, 2023 (“**First Report**”), May 30, 2023 (“**Second Report**”), January 15, 2024 (“**Third Report**”), March 12, 2024 (“**Fourth and Common Report**”), and July 18, 2024 (“**Action Plan**”). In these reports, YEIDA had submitted:
  - 5.1. The status of ponds falling within its jurisdiction;
  - 5.2. Information on action taken by it for conservation, rejuvenation, restoration, and removal of alleged encroachments over the water bodies.

- 5.3. In addition to detailed information, YEIDA provided supporting documents and photographs that showcase the concerted efforts undertaken by it.
6. YEIDA is filing the present report (“**Sixth Report**”) in compliance of this Ld. Tribunal’s order dated March 19, 2025.
7. YEIDA submits that the present report supplements the First, Second, Third, Fourth Report and the Action Plan, and is to be read in conjunction with them.

***Factual background on status of ponds***

8. Before providing a detailed action taken report, YEIDA deems it fit to apprise this Ld. Tribunal of some important facts related to the status of ponds falling within its jurisdiction.
9. The present proceedings pertain to the status of ponds of three Tehsils in District Gautam Budh Nagar, namely, Sadar, Jewar, and Dadri. Of these three Tehsils in Gautam Budh Nagar, YEIDA has jurisdiction only over the portions of land in Sadar and Jewar.

**A. STATUS OF THE PONDS****(a) Tehsil – Sadar**

10. Of the total area of Tehsil Sadar, only a part falls within YEIDA's jurisdiction, and the rest falls within the jurisdiction of NOIDA and Greater NOIDA.

**Information regarding ponds in Tehsil – Sadar**

(a)	Total No. of Ponds in Tehsil Sadar	245
<b>Status of ponds which falls in jurisdiction of YEIDA</b>		
(b)	Total No. of Ponds	69 (Khasra wise)

11. The Joint Committee Report alleges that a road has been constructed over 02 ponds in Tehsil Sadar. It is submitted that out of these 02 ponds, only 01 pond on Khasra No. 601, Village – Moonjkhera, falls within the jurisdiction of YEIDA (further, the said land has not been acquired by YEIDA). Khasra No. 601 is submerged in water and there currently exists a pond. A 120-meter road has been constructed by YEIDA along Khasra No. 601 without in any manner affecting the pond. This is evident from the super imposed map and Google Map image which are collectively annexed herein as **Annexure A-1 (colly)**.

YEIDA had submitted information in this regard along with the super imposed map to the District Wetland Authority vide a letter dated October 07, 2022. A copy of the letter dated October 07, 2022 is annexed herein as **Annexure A-2**.

**(b) Tehsil – Jewar**

**Information regarding ponds in Tehsil – Jewar**

(a)	Total No. of Ponds in Tehsil Jewar	306
<b>Information of ponds which falls in jurisdiction of YEIDA</b>		
(b)	Total No. of Ponds	200 (Khasra wise)

12. There is a total of 306 ponds in Jewar. 200 ponds (Khasra wise) fall within YEIDA's jurisdiction.
13. YEIDA has acquired land in Jewar for the development of Noida International Airport. In this acquisition, 08 ponds have been acquired for development purpose. YEIDA has taken measures for substitution of these 08 acquired ponds as explained in para 33-34 below.

**B. ACTIONS TAKEN BY YEIDA**

14. At the outset, it is stated that YEIDA is committed to the cause of ponds conservation. YEIDA's commitment is evident through various actions and initiatives demonstrated below. It regularly maintains and monitors the conditions of the ponds within its jurisdiction.
15. YEIDA also recognizes the significance of the present proceedings. By adhering to the Tribunal's orders and taking substantial measures, YEIDA aims to contribute positively to the preservation of these valuable natural resources.

***Restoration and rejuvenation of ponds***

16. YEIDA has taken steps for sustainable management and conservation of the ponds within its jurisdiction.
17. Taking note of the present proceedings and the orders of the Tribunal, the CEO of YEIDA, vide Office Order dated October 28, 2022 ("**Office Order**") directed that a survey be done for all the ponds within YEIDA's jurisdiction. After the removal of encroachments by the Revenue Department,

YEIDA will undertake measures for restoration, cleaning, and beautification of such ponds.

A copy of the CEO's Office Order dated October 28, 2022 is annexed herein as **Annexure A-3**.

18. In accordance with Office order, YEIDA has already commenced and completed the survey and rejuvenation of several ponds.
19. In its earlier reports, specifically the Fourth Report (*Page 1021, Para 32 onwards*), YEIDA apprised this Ld. Tribunal of the fact that it has already completed survey of various ponds (*Page 1021, Para 32 and 33*), has completed their rejuvenation (*Page 1024, Para 34*), development of 04 (four) ponds into 'Amrit Sarovar' (*Page 1030, Para 36*), restoration of ponds (*Page 1031, Para 38*), and its collaboration with community and social organisations for survey and rejuvenation (*Page 1032, Para 39 onwards*).
20. Further, in its Action Plan (*Page 1291*), YEIDA apprised this Ld. Tribunal about the rejuvenated ponds (*Page 1296, Para 11*) and the ponds where the rejuvenation work is ongoing (*Page 1296, Para 12*), restoration of ponds (*Page*

1298, Para 16) and its monitoring mechanism (Page 1300, Para 21 onwards).

21. YEIDA submits that it has completed rejuvenation work over the following 48 ponds (85 ponds Khasra wise) falling within its jurisdiction.

S. No.	Name of Village	No. of Ponds	Estimated cost (In Lakh)	Remarks
1.	Achheja Bujarg	1	14.66	Work completed
2.	Rustampur	1	20.45	Work completed
3.	Dayorar	1	20.07	Work completed
4.	Sirauli Bangar	1	6.15	Work completed
5.	Dhanpura	1	6.10	Work completed
6.	Sultanpur	1	5.41	Work completed
7.	Falaida Bangar	2	5.75	Work completed
			5.89	Work completed
8.	Bhaipur	1	6.1	Work completed
9.	Mehndipur	1	5.4	Work completed
10.	Anwargarh	1	5.96	Work completed
11.	Rampur Khadar	1	5.25	Work completed

12.	Mohammadabad Kheda	2	5.50	Work completed
			5.91	Work completed
13.	Kalupura	2	5.23	Work completed
			5.32	Work completed
14.	Jaunchana	1	4.80	Work completed
15.	Maqsoodpur	1	5.89	Work completed
16.	Bhunna Taga	1	4.58	Work completed
17.	Muradgarhi	2	5.63	Work completed
			4.90	Work completed
18.	Chakirampur	1	4.88	Work completed
19.	Myaan	1	5.52	Work completed
20.	Akalpur	2	4.88	Work completed
			5.10	Work completed
21.	Bhikanpur (Majra-Bhyora)	1	5.63	Work completed
22.	Sabeeta Mustafabad	1	10.55	Work completed
23.	Banwaribas	2	5.00	Work completed
			22.00	Work completed

24.	Tirathali (Majra-Tirathali Kheda)	1	53.00	Work completed
25.	Niloni Shahpur (Mazra-Shahpur)	1	45.03	Work completed
26.	Bhunna Taga	2	20.44	Work completed
				Work completed
27.	Maqsoodpur	3	15.70	Work completed
28.	Salarpur	1	14.54	Work completed
29.	Dayanatpur	1	11.01	Work completed
30.	Jewar Khadar	1	32.35	Work completed
31.	Rampur Bangar	1	17.47	Work completed
32.	Makanpur Bangar	1	8.51	Work completed
33.	Kherli Bhav	1	7.65	Work completed
34.	Jewar Bangar (Majra Sahib Nagar)	1	9.72	Work completed
35.	Jhajhar	1	9.14	Work completed
36.	Chandpur	1	17.86	Work completed
37.	Munjkheda	1	2.74	Work completed
38.	Dhanauri Khurd	1	6.26	Work completed

39.	Ahmedpur Chaoroli	1	2.28	Work completed
	Total	48	480.93	

A list of the ponds (along with the village and expenditure) of which YEIDA has completed the rejuvenation is annexed herein as **Annexure A-4**.

The photographs of some of these ponds where the rejuvenation work has been completed are annexed herein as **Annexure A-5**.

22. Further, YEIDA is in progress of rejuvenating the following 35 ponds (61 ponds Khasra wise) falling within its jurisdiction.

S. No.	Name of Work	No. of Ponds	Amount	Remarks
1.	Pond Rejuvenation in Village- Dudhera, YEA	1	4.82	Work is in process
2.	Pond Rejuvenation in Village- Karol Bangar, YEA	1	3.76	Work is in process
3.	Pond Rejuvenation in Village- Usmanpur, YEA	1	19.67	Work is in process

4.	Pond Rejuvenation in Village- Dareen Gujran, YEA	1	25.78	Work is in process
5.	Pond Rejuvenation in Village- Mudreh, YEA	1	18.73	Work is in process
6.	Pond Rejuvenation in Village- Dhanori, YEA	1	14.55	Work is in process
7.	Pond Rejuvenation in Village- Gunpura, YEA	1	20.94	Work is in process
8.	Pond Rejuvenation in Village- Muradgadhi (Pond No. 1 & 2), YEA	2	17.03	Work is in process
9.	Pond Rejuvenation in Village- Acchepur, YEA	1	4.00	Work is in process
10.	Pond Rejuvenation in Village- Ronija, YEA	1	27.71	Work is in process
11.	Pond Rejuvenation in Village- Kallupura, YEA	1	16.68	Work is in process
12.	Restoration of Pond in Zone-8 (Part-A) (Village Nangla Bhatona & Nangla Kanchan), YEA	2	12.68	Work is in process
13.	Pond Rejuvenation in Village- Parsol, YEA	1	26.16	Work is in process
14.	Pond Rejuvenation in Village- Sabota Mustafabad, YEA	1	23.42	Work is in process

15.	Pond Rejuvenation in Village- Manchipur, YEA	1	23.54	Work is in process
16.	Pond Rejuvenation in Village- Bankapur & Dustampur, YEA	1	24.63	Work is in process
17.	Pond Rejuvenation in Village- Kadalpur, YEA	1	8.19	Work is in process
18.	Pond Rejuvenation in Village- Neemka Shahjahanpur (02 Ponds), YEA	2	25.58	Work is in process
19.	Pond Rejuvenation in Village- Myana, YEIDA	1	9.23	Work is in process
20.	Pond Rejuvenation in Village- Latifpur Bangar, YEA	1	7.42	Work is in process
21.	Pond Rejuvenation in Village- Utrawali, YEA	1	14.50	Work is in process
22.	Pond Rejuvenation in Village- Faleda Bangar, YEA	1	16.92	Work is in process
23.	Pond Rejuvenation in Village- Rasoolpur Ekbal, YEA	1	5.09	Work is in process
24.	Pond Rejuvenation in Village- Mirzapur, YEA	1	5.19	Work is in process
25.	Pond Rejuvenation in Village- Sakka, YEA	1	9.11	Work is in process

26.	Pond Rejuvenation in Village- Bhatta, YEA	1	42.78	Work is in process
27.	Pond Rejuvenation in Village- Chanchali, YEA	1	21.19	Work is in process
28.	Pond Rejuvenation in Village- Ronija (03 Nos.), YEA	3	20.39	Work is in process
29.	Pond Rejuvenation in Village- Suhedi Mahiuddinpur, YEA	1	7.26	Work is in process
30.	Pond Rejuvenation in Village- Rammer, YEA	1	9.22	Work is in process
	Total	35	486.17	

A list of the ponds (along with the village and expenditure) of which YEIDA is currently undertaking rejuvenation is annexed herein as **Annexure A-6**.

23. YEIDA plans to complete rejuvenation work for 27 ponds (55 ponds Khasra wise) by November 2025. Further, e-tender process for rejuvenation work is currently undergoing for the following 7 ponds (12 ponds Khasra wise).

S. No.	Name of Work	No. of Ponds	Amount	Remarks
1.	Pond Rejuvenation in Villag – Chak Birampur, YEA	1	6.88	E-tendering is in process
2.	Pond Rejuvenation in Villag – Thora, YEA	5	77.40	E-tendering is in process
3.	Pond Rejuvenation in Villag – Mohbalipur, YEA	1	14.07	E-tendering is in process
	Total	7	98.35	

A list of ponds where the e-tender process is currently on-going is annexed herewith as **Annexure A-7**.

24. In the previous hearings of the present case, the Ld. Tribunal emphasized on the significance of community participation in conservation of water bodies.
25. The Authority is undertaking some of the work for restoration and rejuvenation in partnership with various NGOs.
26. YEIDA along with NGOs has completed the rejuvenation of the following 16 ponds (26 ponds Khasra wise):

S. No.	Village	No. of Ponds
1	Achheypur	1
2.	Dugli	1
3.	Dhanori Khurd (Majra-Dhanauri Kalan, Milak, Junedpur ki Gathiya)	1
4.	Kherli Bhav (Majra-Kherli Milak)	1
5.	Rampur Bhangar	1
6.	Thora	6
7.	Dyoraar	1
		1
8.	Mukimpur (Siwaar)	1
9.	Chapargarh	1
10.	Nangla Shahpur	1
11.	Ali Ahmadpur Garhi	1
	Total	16

A list of the ponds (along with the village) of which NGOs have completed the rejuvenation work is annexed herein as **Annexure A-8.**

27. It is pertinent to note that YEIDA is also working towards community awareness about ponds conservation. For this, YEIDA has undertaken school programmes and rallies across villages.

*Against Encroachments*

28. It is stated that YEIDA has complied with the orders passed by the Tribunal. YEIDA has taken steps for sustainable management and conservation of the ponds. Taking note of the present proceedings and the orders of the Tribunal, the CEO of YEIDA, vide Office Order, has directed that:

28.1. The officers of YEIDA will co-ordinate with District and Revenue Administration for expedite removal of encroachments on ponds in relation to which proceedings under Section 67 of the Uttar Pradesh Revenue Code, 2006 (“**U.P. Revenue Code**”) are ongoing.

28.2. A survey will be done for all the ponds falling within YEIDA’s jurisdiction. The survey will record the ponds which are affected by encroachments and necessary measures under the U.P. Revenue Code

will be undertaken. After the removal of encroachments, YEIDA will undertake measures for restoration, cleaning and beautification of such ponds.

28.3. Ponds, which are not affected by encroachment, will be cleaned and restored.

29. It is stated that YEIDA is committed to the conservation, restoration and rejuvenation of water bodies falling within its jurisdiction. The Applicant's assertion that the acts and omissions of the Respondents are impacting the ecology of the region irreparably is baseless, false and thus, denied.
30. Further, actions related to conservation, restoration, rejuvenation and removal of encroachments over water bodies are undertaken by state departments, wetland committee, district administration and development authorities in coordination with each other.
31. Under Section 67 of the U.P. Revenue Code, if land entrusted with the Gram Panchayat or a local authority is wrongfully occupied or encroached, the following procedure is followed for the removal of encroachment:

- 31.1. The Bhumi Prabandhak Samiti or other authority or the Lekhpal concerned shall inform the Assistant Collector concerned about such an encroachment.
- 31.2. The Assistant Collector issues a notice to the person concerned to show cause why compensation for encroachment be not recovered from him and why he should not be evicted from such land.
- 31.3. If the person to whom a notice has been issued fails to show cause, the Assistant Collector may direct that such person shall be evicted from the land and may direct that the amount of compensation be recovered from such person.
- 31.4. Any person aggrieved by an order of the Assistant Collector can prefer an appeal to the Collector.
32. Thus, it is the Revenue Authority and the District Administration that have been entrusted with the power to remove encroachments over the water bodies. YEIDA is co-ordinating with the Revenue Authority and the District

Administration for removal of any encroachments over ponds falling within its jurisdiction.

33. Vide its government order dated June 03, 2016, the Uttar Pradesh Government has directed that in case ponds/ water bodies are acquired for development purposes, alternate water bodies of size 25% larger be excavated. A copy of the Government Order dated June 03, 2016 bearing reference number 32/744/AK-1-2016-20(5)/2016 is annexed herein as **Annexure A-9**.
  
34. With regards to the substitution of 08 ponds admeasuring 2.1880 hectares acquired for Noida International Airport, YEIDA has excavated 08 artificial ponds admeasuring 6.4115 hectares (**293% larger**), more than three times the area of the 08 ponds acquired for development purposes, which is far in excess of the area prescribed by the aforesaid government order. The details of the acquired ponds and the substitution process is given below:

Details of ponds acquired for Noida International Airport				Details of alternate water bodies/ ponds					
S. No.	Village	Gata No.	Area (in Hectares)	S. No.	Village	Khata No.	Gata No.	Area (in Hectares)	Status quo of excavation
1.	Rohi	398	0.0630	1.	Akalpur	239	297	1.3590	1.1730
2.	Rohi	542Kha	0.1900	2.	Falaida Bangar	647	746Kha	2.5630	2.2695
3.	Rohi	598	0.1900	3.	Taquipur Bangar	338	236M	0.0760	0.0760
4.	Rohi	650	0.2400	4.	Taquipur Bangar	336	236M	0.0410	0.0410
5	Rohi	969	0.0890	5	Taquipur Bangar	338	237M	0.0250	0.0250
6.	Rohi	652	0.2530	6.	Taquipur Bangar	336	242	1.0120	1.0120
7.	Rohi	837	0.4550	7.	Taquipur Bangar	338	246	1.0050	1.0050
8.	Dayan at Pur	1454	0.7080	8.	Taquipur Bangar	338	277M	0.2020	-
				9.	Taquipur Bangar	336	277M	0.0540	-
				10	In front of Sector 19 Mirzapur	-	208/3, 212	-	0.8100
		<b>Total area</b>	<b>2.1880 (Hect.)</b>				<b>Total area</b>	<b>6.3370 (Hect.)</b>	<b>6.4115 (Hect.)</b>

*Participation in District Wetland Committee*

35. Further, in its order dated October 12, 2022, the Tribunal had directed the District Magistrate, Gautam Budh Nagar to convene meetings of the District Wetland Committee with the CEOs of NOIDA, GNIDA and YEIDA as Special Invitees. In compliance with such a direction, the Office of the District Magistrate, Gautam Budh Nagar vide Office Order dated November 23, 2022 reconstituted the District Wetland Committee and included officers nominated by CEOs of NOIDA, GNIDA and YEIDA in the list of members. A copy of the Office Order dated November 23, 2022 issued by the Office of the District Magistrate, Gautam Budh Nagar is annexed herein as **Annexure A - 10**.
36. The re-constituted District Wetland Committee has been holding its meetings from time to time. Recently, in its meetings dated April 24, 2025, May 14, 2025 and June 13, 2025, the Committee *inter alia* decided to take the following actions for conservation of water bodies:

- 36.1. Collation of relevant documents and information regarding removal of encroachments and rejuvenation of ponds.
- 36.2. Prioritising the disposal of encroachment cases pending under Rule 67 of the UP Revenue Code.
- 36.3. Ground truthing and boundary demarcation of wetlands in Gautam Buddha Nagar.

A copy of the minutes of meeting for the District Wetland Committee meeting dated April 24, 2025, May 14, 2025 and June 13, 2025, is annexed herein as **Annexure A-11 (colly)**.

37. YEIDA understands the importance of the pond ecosystem in Gautam Budh Nagar and acknowledges its responsibility in their preservation. Basis the actions mentioned above, and the documents annexed herein, it is humbly submitted that YEIDA is committed to safeguarding wetlands and water bodies falling within its jurisdiction. YEIDA is duly following the present proceedings and has complied with the orders of this Tribunal.

38. It is, therefore, humbly prayed that the Tribunal may graciously be pleased to take this action taken report on record.



शुभम पुण्डीर  
प्रबन्धक (परियोजना)

**RESPONDENT NO. 10/ YAMUNA EXPRESSWAY  
INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY**

**THROUGH**



**J. SAGAR ASSOCIATES  
COUNSEL FOR R-10  
B-303, 3RD FLOOR, ANSAL PLAZA,  
HUDCO PLACE, AUGUST KRANTI MARG  
NEW DELHI 110049  
+91-8447507345  
pranav.tanwar@jsalaw.com**

DATE: 15 July 2025

PLACE: NEW DELHI

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL  
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI  
Original Application No. 177 OF 2022

IN THE MATTER OF:

ABHIST KUSUM GUPTA

... APPLICANT

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH AND ORS.

... RESPONDENTS



AFFIDAVIT

I, Sh. Shubham Pundeer, S/o Sh. Sarvjeet Singh, aged about 33 years, currently Manager Project of Yamuna Expressway Industrial Development Authority, having its office at First Floor, Commercial Complex, P-2, Sector – Omega – I, Greater Noida, Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh - 201309, presently at New Delhi, do hereby solemnly declare on oath and state as under:

1. I am working as the Manager Project with the Yamuna Expressway Industrial Development Authority. I am well conversant with the facts and circumstance of the instant case, hence, am competent to swear this affidavit.
2. The accompanying action taken report has been drafted under instructions of Yamuna Expressway Industrial

Development Authority, and I have read and understood the contents of the accompanying action taken report.

3. I say that the facts and submissions made therein are true and correct. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

*[Signature]*  
शुभम पुण्डरीर  
DEPONENT  
(प्रबंधक)

**VERIFICATION**

*Prana*  
*D/7002/2019*  
I Identified the deponent who has signed in my presence.

I, the deponent abovenamed, do hereby verify that the contents of the foregoing affidavit are true and correct to the best of my knowledge. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

15 JUL 2025

Verified at New Delhi on this \_\_\_ day of July, 2025.

*[Signature]*  
शुभम पुण्डरीर  
DEPONENT  
(प्रबंधक)



CERTIFIED THAT THE DEPONENT  
Sri/Smt/Km. *Shubham Pundeer*  
S/o, W/o, D/o *Sampriti Singh*  
R/o.....  
Identified by Sri/Smt. *Ramesh Jaiswal*  
has Solemnly affirmed before me at  
New Delhi on **15 JUL 2025** as Sl. No. *(15)*  
That the contents of the affidavit which have  
been read & explained to him are true and  
Correct to this knowledge.


*[Signature]*  
Notary Public

**उत्तर प्रदेश सरकार**

**यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण**

**परिचय पत्र**





यू0आई0डी : 220

नाम : शुभम पुण्डीर

पदनाम : प्रबन्धक (सिविल)

पता : य0ए0औ0वि0पा0,  
ग्रेटर नौएडा, उत्तर प्रदेश

कार्ड जारी करने के  
हस्ताक्षर

जारी करने का दिनांक : 01.02.2025


वैधता दिनांक : 31.03.2026

जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर


**कार्यालय:**

प्रथम तल, कमर्शियल काम्प्लेक्स, पी-2, सेक्टर आमेगा-1,  
ग्रेटर नौएडा, गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश- 201310  
मोबाईल नं0 8126301208 ब्लड ग्रुप O<sup>+</sup>  
[www.yamunaexpresswayauthority.com](http://www.yamunaexpresswayauthority.com)


1. यह परिचय-पत्र हस्तांतरणीय नहीं है।
2. स्थानान्तरण/सेवानिवृत्ति/त्याग-पत्र देने एवं वैधता तिथि समाप्त होने पर परिचय पत्र वापस करना होगा।

  
शुभम पुण्डीर  
प्रबन्धक (परियोजना)

गाह-हूने खेडा, तब सदर 93 (2)



Vill - Moonykhara





पत्रांक : वाई0ई0आई0डी0ए0/उप महाप्रबंधक (परि0)/2022/866  
सेवा में,

दिनांक 07/09/2022

✓ प्रभागीय वनाधिकारी/सदस्य सचिव,  
जिला वेटलेण्ड समिति,  
ई-1, सैक्टर-1, नौएडा  
जनपद- गौतमबुद्ध नगर।

विषय :-मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में याजित ओ0ए0 संख्या 177/2022 अमीष्ट कुसुम गुप्ता बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य में पारित आदेश दिनांक 08.04.2022 के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ: मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.09.2022 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त के क्रम में यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा पत्रांक संख्या- YEIDA/GM(Proj)/2022/862 दिनांक 29.09.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

प्रेषित सूचना के प्रस्तर-ए0 में सदर तहसील की सूचना में क्रम संख्या-05 एवं जेवर तहसील की प्रेषित सूचना के बिन्दु संख्या-05 पर स्थिति निम्नानुसार स्पष्ट की जा रही है:-

#### Information Regarding Ponds in Tehsil- Sadar

S. No.	Information As Per Revenue Dept.	Information of Ponds falls in YEIDA		
		No. of Ponds	No. of Ponds	
5	Road has been constructed मूंजखेड़ा खसरा संख्या-601 रकबा 0.3410 पोखर के 1/2 भाग पर यमुना एक्सप्रेसवे सड़क बनी हुई है।	2	Road has been constructed	-
				यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत सदर तहसील के ग्राम मूंजखेड़ा के खसरा संख्या-601 पर जलमग्न भूमि/पोखर है जो प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहित नहीं है। इस पोखर से लगती हुई प्राधिकरण की 120मीटर सड़क निर्मित है। संलग्न स्थल के सुपरइम्पोज्ड मानचित्र से भी स्पष्ट है कि स्थल पर निर्मित सड़क खसरा संख्या-601 से बाहर है। इस प्रकार प्राधिकरण द्वारा किसी भी पोखर के उपर अथवा उसके भाग पर सड़क निर्मित नहीं की गयी है।

क्रमशः

#### यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण

प्रथम तल, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, ब्लॉक-पी-2, सेक्टर ओमेगा-1, ग्रेटर नौएडा सिटी - 201308, गौतमबुद्धनगर (उ0प्र0)  
दूरभाष न0 - 0120 - 2395153, फैक्स न0 - 0120 - 2395150

Pallavi

TRUE COPY.



Information Regarding Ponds in Tehsil- Jewar

S. N o.	Information As Per Revenue Dept.	Information of Ponds falls in YEIDA		
		No. of Ponds	No. of Ponds	
5	YEIDA Authority Acquisition	01	-	जेवर तहसील के अन्तर्गत प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में ग्राम बनवारीबोंस के खसरा संख्या-16 पर जलमग्न भूमि/पोखर दर्ज है, जिसके आंशिक भाग पर हुए अस्थायी अतिक्रमणों को हटाये जाने के सम्बन्ध में जिला प्रशासन के माध्यम से धारा-67 की कार्यवाही कराते हुए मौके पर चिन्हांकन उपरान्त उनको हटाये जाने की कार्यवाही की जानी है।

कृपया उपरोक्त सूचना का समावेश पूर्व प्रेषित सूचना कार्यालय पत्रांक संख्या-YEIDA/GM(Proj)/2022/862 दिनांक 29.09.2022 में करते हुए अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करे।

संलग्नक:- 02 पृष्ठों में।

1405  
7.10.2022  
(के0के0 सिंह)

महाप्रबन्धक (परि0)

प्रतिलिपि:-

1. स्टाफ ऑफिसर को, मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के संज्ञानार्थ।
2. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी(आर0) महोदय को सूचनार्थ।
3. उप जिलाधिकारी (सदर/जेवर) को सूचनार्थ।
4. उप महाप्रबन्धक (परि0) को सूचनार्थ।
5. उप निदेशक (उद्यान) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

महाप्रबन्धक (परि0)

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण


प्रथम तल, कॉमर्सियल कॉम्प्लेक्स, ब्लॉक-पी-2, सेक्टर ओमेगा-1, ग्रेटर नोएडा सिटी - 201308, गौतमबुद्धनगर (उ090)  
दूरभाष न0 - 0120 - 2395153, फैक्स न0 - 0120 - 2395150

Pallavi

TRUE COPY.

ग्राम-भूमि खेडा, तह सदा

(2)







पत्रांक- वाई.ई.आई.डी.ए. / मु0का0आ0 / G.M.(PR0J) / 2022/871

दिनांक: 28/10/2022

### कार्यालय आदेश

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली, द्वारा ओ.ए. संख्या-177/2022 अभिष्ट कुसुम गुप्ता बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.09.2022 व दिनांक 12.10.2022 के अनुपालन में निम्न कार्यवाही की जानी है:-

1. जिला वेटलैंड समिति की संयुक्त आख्या के अनुसार प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र (96 ग्राम, जहाँ ग्राम पंचायत नहीं है) में तालाबों के सम्बन्ध में जहाँ भी अतिक्रमण से सम्बन्धित उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 67 के अनुसार सक्षम न्यायालय में वाद दर्ज है, ऐसे प्रकरणों पर मा0 न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों एव की जा रही कार्यवाही का अनुश्रवण किया जाये एवं अतिक्रमण हटाने में जिला प्रशासन को सहयोग दिया जाये।
2. प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र (96 ग्राम, जहाँ ग्राम पंचायत नहीं है) में स्थित तालाबों का सर्वे 02 माह में किया जाये और जहाँ भी अतिक्रमण पाया जाता है, उन सभी प्रकरणों में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 67 के अनुसार सक्षम न्यायालय में वाद दर्ज कराया जाये। तालाबों को अतिक्रमण से मुक्त कराने के उपरान्त तालाबों की खुदाई व सौंदर्यीकरण की कार्यवाही का चरणबद्ध तरीके से योजना बनाकर क्रियान्वयन किया जाये।
3. जो तालाब अतिक्रमण से मुक्त है, उन तालाबों की खुदाई व सौंदर्यीकरण की कार्यवाही का चरणबद्ध तरीके से योजना बनाकर क्रियान्वयन किया जाये।

उक्त बिन्दुओं पर कार्यवाही परियोजना विभाग व भूलेख विभाग द्वारा की जायेगी, जिसका अनुश्रवण विशेष कार्याधिकारी (भूलेख) एवं महाप्रबन्धक (परियोजना) द्वारा किया जायेगा।

उक्त आदेश तत्काल से प्रभावी होगा।

भवदीय

  
(डा0 अरुणवीर सिंह)  
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

### प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एम0/आर0) को सूचनार्थ प्रेषित।
2. विशेष कार्याधिकारी (एस.के.एस./एस.एस.) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. महाप्रबन्धक (परियोजना) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण

प्रथम तल, कोर्पोरेट कॉम्प्लेक्स, ब्लॉक-पी-2, सेक्टर-30, गेजेट-1, गेजेट नोएडा सिटी-201, 308

1885

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाले जिन तालाबों में जीर्णोद्धार का कार्य पूर्ण करा दिया गया है, का विवरण :-

क्र० सं०	ग्राम का नाम	तालाबों की संख्या (नग)	अनुमानित लागत (लाख में)	विवरण
प्राधिकरण द्वारा जीर्णोद्धार किये गये तालाबों का विवरण				
1	अच्छेजा बुर्जग	1	14.66	कार्य पूर्ण।
2	रुस्तमपुर	1	20.45	कार्य पूर्ण।
3	दयौरार	1	20.07	कार्य पूर्ण।
4	सिरोली बांगर	1	6.15	कार्य पूर्ण।
5	धनपुरा	1	6.10	कार्य पूर्ण।
6	सुल्तानपुर	1	5.41	कार्य पूर्ण।
7	फलैदा बांगर	2	5.75	कार्य पूर्ण।
			5.89	कार्य पूर्ण।
8	भाईपुर	1	6.1	कार्य पूर्ण।
9	मेहन्दीपुर	1	5.4	कार्य पूर्ण।
10	अनवरगढ़	1	5.96	कार्य पूर्ण।
11	रामपुर खादर	1	5.25	कार्य पूर्ण।
12	मौहम्मदाबाद खेड़ा	2	5.50	कार्य पूर्ण।
			5.91	कार्य पूर्ण।
13	कलपुरा	2	5.23	कार्य पूर्ण।
			5.32	कार्य पूर्ण।
14	जौनचाना	1	4.80	कार्य पूर्ण।
15	मकसूदपुर	1	5.89	कार्य पूर्ण।
16	भुन्ना तगा	1	4.58	कार्य पूर्ण।
17	मुरादगढ़ी	2	5.63	कार्य पूर्ण।
			4.90	कार्य पूर्ण।
18	चकबीरमपुर	1	4.88	कार्य पूर्ण।
19	म्याना	1	5.52	कार्य पूर्ण।
20	आकलपुर	2	4.88	कार्य पूर्ण।
			5.10	कार्य पूर्ण।
21	भीकनपुर(माजरा-भ्यौरा)	1	5.63	कार्य पूर्ण।
22	सबौता मुस्तफाबाद	1	10.55	कार्य पूर्ण।

Ranjit Singh

S. S. Singh

23	बनवारीबास	2	5.00	कार्य पूर्ण।
			22.00	कार्य पूर्ण।
24	तिरथली (माजरा-तिरथली खेड़ा)	1	53.00	कार्य पूर्ण।
25	निलौनी शाहपुर (माजरा-शाहपुर)	1	45.03	कार्य पूर्ण।
26	भुन्ना तगा	2	20.44	कार्य पूर्ण।
				कार्य पूर्ण।
27	मकसूदपुर	3	15.70	कार्य पूर्ण।
28	सलारपुर	1	14.54	कार्य पूर्ण।
29	दयानतपुर	1	11.01	कार्य पूर्ण।
30	जेवर खादर	1	32.35	कार्य पूर्ण।
31	रामपुर बांगर	1	17.47	कार्य पूर्ण।
32	मकनपुर बांगर	1	8.51	कार्य पूर्ण।
33	खेरली भाव	1	7.65	कार्य पूर्ण।
34	जेवर बांगर (माजरा साहब नगर)	1	9.72	कार्य पूर्ण।
35	झांझर	1	9.14	कार्य पूर्ण।
36	चांदपुर	1	17.86	कार्य पूर्ण।
37	मूँजखेड़ा	1	2.74	कार्य पूर्ण।
38	धनौरी खुर्द	1	6.26	कार्य पूर्ण।
39	अहमदपुर चौरौली	1	2.28	कार्य पूर्ण।
	कुल योग	48	480.93	

Ranghans)



# Mohhammadpur Jadon

Before



After



# Jewar Banger

Before




After



# Kallupura

Before


After



# Milak Karimabad

Before

After



# Muradgadhi

Before

After



# Tirthali

Before



After



# Dyorar

Before



After



# Nangla Padam Singh

Before

After



# Muradgadhi(2)

Before

After



# Bhunna Taga

Before

After



यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत पडने वाले तालाबों के जीर्णोद्धार के कार्य प्रगति में है, का विवरण:-

S.No.	Name of work	No. of Ponds	Amount	Remarks
1	Pond Rejuvenation in Village- Dudhera, YEA	1	4.82	कार्य प्रगति पर है।
2	Pond Rejuvenation in Village- Karol Bangar, YEA	1	3.76	कार्य प्रगति पर है।
3	Pond Rejuvenation in Village- Usmanpur, YEA	1	19.67	कार्य प्रगति पर है।
4	Pond Rejuvenation in Village- Dareen Gujran, YEA	1	25.78	कार्य प्रगति पर है।
5	Pond Rejuvenation in Village- Mudreh, YEA	1	18.73	कार्य प्रगति पर है।
6	Pond Rejuvenation in Village- Dhanori, YEA	1	14.55	कार्य प्रगति पर है।
7	Pond Rejuvenation in Village- Gunpura, YEA	1	20.94	कार्य प्रगति पर है।
8	Pond Rejuvenation in Village- Muradgadhi (Pond No. 1 & 2), YEA	2	17.03	कार्य प्रगति पर है।
9	Pond Rejuvenation in Village- Acchepur, YEA	1	4.00	कार्य प्रगति पर है।
10	Pond Rejuvenation in Village- Ronija, YEA	1	27.71	कार्य प्रगति पर है।
11	Pond Rejuvenation in Village- Kallupura, YEA	1	16.68	कार्य प्रगति पर है।
12	Restoration of Pond in Zone-8 (Part-A) (Villages-Nangla Bhatona & Nangla Kanchan), YEA	2	12.68	कार्य प्रगति पर है।
13	Pond Rejuvenation in Village- Parsol, YEA	1	26.16	कार्य प्रगति पर है।
14	Pond Rejuvenation in Village- Sabota Mustafabad, YEA	1	23.42	कार्य प्रगति पर है।
15	Pond Rejuvenation in Village- Manchipur, YEA	1	23.54	कार्य प्रगति पर है।
16	Pond Rejuvenation in Village- Bankapur and Dustampur, YEA	1	24.63	कार्य प्रगति पर है।
17	Pond Rejuvenation in Village- Kadalpur, YEA	1	8.19	कार्य प्रगति पर है।
18	Pond Rejuvenation in Village- Neemka Shahjahanpur (02 Ponds), YEA	2	25.58	कार्य प्रगति पर है।
19	Pond Rejuvenation in Village- Myana, YEIDA	1	9.23	कार्य प्रगति पर है।
20	Pond Rejuvenation in Village- Latifpur Bangar, YEA	1	7.42	कार्य प्रगति पर है।
21	Pond Rejuvenation in Village- Utrawali, YEA	1	14.50	कार्य प्रगति पर है।
22	Pond Rejuvenation in Village- Faleda Bangar, YEA	1	16.92	कार्य प्रगति पर है।
23	Pond Rejuvenation in Village- Rasoolpur ekbal, YEA	1	5.09	कार्य प्रगति पर है।
24	Pond Rejuvenation in Village- Mirzapur, YEA	1	5.19	कार्य प्रगति पर है।
25	Pond Rejuvenation in Village- Sakka, YEA	1	9.11	कार्य प्रगति पर है।
26	Pond Rejuvenation in Village- Bhatta, YEA	1	42.78	कार्य प्रगति पर है।
27	Pond Rejuvenation in Village- Chanchali, YEA	1	21.19	कार्य प्रगति पर है।
28	Pond Rejuvenation in Village- Ronija (03 Nos.), YEA	3	20.39	कार्य प्रगति पर है।
29	Pond Rejuvenation in Village- Suhedi Mahiuddinpur, YEA	1	7.26	कार्य प्रगति पर है।
30	Pond Rejuvenation in Village- Ramner, YEA	1	9.22	कार्य प्रगति पर है।
	<b>Total</b>	<b>35</b>	<b>486.17</b>	

Ranjana

Ran

Ran

P. Hart

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत पडने वाले तालाबों में कार्य कराये जाने हेतु निविदा प्रक्रिया में तालाबो का विवरण:-

S.No.	Name of work	No. of Ponds	Amount	Remarks
1	Pond Rejuvenation in Village- Chak Birampur, YEA	1	6.88	ई-निविदा प्रक्रिया में है।
2	Pond Rejuvenation in Village- Thora (05 Ponds), YEA	5	77.40	ई-निविदा प्रक्रिया में है।
3	Pond Rejuvenation in Village- Mohbalipur, YEA	1	14.07	ई-निविदा प्रक्रिया में है।
	<b>Total</b>	<b>7</b>	<b>98.35</b>	

Rough Copy  
Ran

1899

## यमुना प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत N.G.O. द्वारा जीर्णोद्धार किये गये तालाबों का वितरण

1	आच्छेपुर	1	.....	NGO द्वारा कराया गया।
2	दुगली	1	.....	NGO द्वारा कराया गया।
3	धनीरी खुद(भाजरा-धनीरी कला, मिलक, जुनेदपुर की मढैया)	1	.....	NGO द्वारा कराया गया।
4	खेरती भाज(भाजरा-खेरती मिलक)	1	.....	NGO द्वारा कराया गया।
5	रामपुर बागर	1	.....	NGO द्वारा कराया गया।
6	थोरा	6	.....	NGO द्वारा कराया गया।
			.....	NGO द्वारा कराया गया।
			.....	NGO द्वारा कराया गया।
			.....	NGO द्वारा कराया गया।
			.....	NGO द्वारा कराया गया।
			.....	NGO द्वारा कराया गया।
7	दयौरा	1	.....	NGO द्वारा कराया गया।
				NGO द्वारा कराया गया।
8	मुकीमपुर(सिंवारा)	1	.....	NGO द्वारा कराया गया।
9	चपरगढ़	1		NGO द्वारा कराया गया।
10	नंगला शाहपुर	1		NGO द्वारा कराया गया।
11	अली अहमदपुर गढ़ी	1	.....	NGO द्वारा कराया गया।
कुल योग		16	.....	

Rangh (Rangh)

Rangh

## Annexure A-9

संख्या-32/744/एक-1-2016-20(5)/2016

प्रेषक,

सुरेश चन्द्रा,  
प्रमुख सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त मण्डलायुक्त,  
उत्तर प्रदेश।

(2) समस्त जिलाधिकारी  
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग-1

लखनऊ: दिनांक: 03 जून, 2016

विषय:- ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित भूमियों के पुनर्ग्रहण एवं विनिमय हेतु सामान्य सिद्धान्तों का निर्धारण।

महोदय,

प्रदेश में जमींदारी समाप्ति के बाद खातों के बाहर की भूमि/वस्तुएं उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 117 की उपधारा (1) के अधीन ग्राम सभाओं/स्थानीय प्राधिकारियों में निहित कर दी गयी थी। गांव सभाओं/स्थानीय प्राधिकारियों में निहित सम्पत्तियां वस्तुतः उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 के अधीन राज्य सरकार में निहित सम्पत्तियां थीं, जिन्हें मात्र प्रबन्धन के लिए गांव सभाओं/स्थानीय प्राधिकारियों में निहित किया गया था। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) द्वारा उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 को निरसित कर दिया गया है।

2. उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 59 की उपधारा (1) में व्यवस्था है कि राज्य सरकार विहित रीति से प्रकाशित किये जाने वाले साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस संहिता के उपबन्धों के अनुसार अधीक्षण, संरक्षण, प्रबन्धन और नियंत्रण के प्रयोजनों के लिए ग्राम पंचायत या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण को उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट ऐसी समस्त या कोई चीजें सौंप सकती है, जो राज्य सरकार में निहित हों। उक्त अधिनियम की धारा 59 की उपधारा (3) में व्यवस्था है कि ऐसी प्रत्येक भूमि या अन्य चीज (वस्तुएं), जो उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 या उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 के उपबन्धों के अधीन किसी ग्राम पंचायत या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण में निहित हो, इस संहिता द्वारा निरसित किसी अधिनियम के अधीन किसी ग्राम पंचायत या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण के प्रभार के अधीन रखी गयी हो, इस संहिता के प्रारम्भ होने के पूर्व या उसके पश्चात् किसी ग्राम पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकरण के कब्जे में अन्यथा, आयी हो, उसे इस संहिता के उपबन्धों के अनुसार अधीक्षण, संरक्षण, प्रबन्धन और नियंत्रण के प्रयोजनार्थ

Pallavi

TRUE COPY.

-2-

-2-

इस संहिता के प्रारम्भ होने के दिनांक से या उसके इस प्रकार कब्जे में आने के दिनांक से, यथास्थिति ऐसी ग्राम पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में सौंपा हुआ समझा जायेगा। स्थानीय निकाय को वही अधिकार प्राप्त होंगे जो तत्समय ग्राम पंचायत को प्राप्त रहे हों। ग्राम पंचायत या स्थानीय निकाय को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 से शासित भूमि को किसी अन्य रीति/प्रकार से व्यवस्थित करने का अधिकार नहीं होगा।

3. ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित सम्पत्तियों के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (क) में व्यवस्था है कि उपधारा (1) के अधीन जारी किये गये किसी पूर्ववर्ती आदेश में परिवर्द्धन/संशोधन/परिवर्तन या उसे निरस्त कर सकती है और धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) के अधीन राज्य सरकार किसी ग्राम पंचायत या स्थानीय प्राधिकरण को सौंपी गई या सौंपी हुई समझी गयी या अन्तरित की गई किसी भूमि या अन्य चीज को ऐसी निबन्धन एवं शर्तों पर जैसी कि विहित की जाय, वापस ले सकती है अर्थात् किसी भी समय ग्राम पंचायत या स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित भूमियों का पुनर्ग्रहण किया जा सकता है। पुनर्ग्रहण के बाद भूमि राज्य सरकार के सीधे नियंत्रण में आ जाती है और उसका उपयोग कृषि से भिन्न किसी भी प्रयोजन के लिए किया जा सकता है। सीलिंग में प्राप्त भूमि भी कृषि प्रयोजन के लिए उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 की धारा 27 की उपधारा (3) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 126 की उपधारा (1) में विहित वरीयता क्रम के अनुसार कलेक्टर द्वारा आवंटित की जा सकती है और कृषि से भिन्न प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 की धारा 25 तथा 27 (2) के अधीन उपलब्ध करायी जा सकती है। इसी प्रकार अन्य सरकारी भूमि भी कृषि तथा उससे भिन्न प्रयोजनों के लिए गर्वनमेंट ग्रान्ट्स एक्ट, 1895 के अधीन पट्टे पर देकर उपलब्ध करायी जा सकती है।

4. ग्राम पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित, सीलिंग में प्राप्त तथा अन्य सरकारी भूमि के उपयोग की प्राथमिकताओं के निमित्त भूमि का पात्र व्यक्तियों में आवंटन तथा विभिन्न विभागों द्वारा चलाये जा रहे कार्यक्रमों और निजी प्रयोजनों/उद्योगों के निमित्त भूमि उपलब्ध कराये जाने में सामन्जस्य होना अत्यन्त आवश्यक है। गांव सभाओं/स्थानीय प्राधिकारियों में निहित सीलिंग में प्राप्त तथा अन्य सरकारी भूमि के उपयोग की प्राथमिकताओं के निमित्त पूर्व में निर्गत समस्त शासनादेशों/अधिसूचनाओं को अतिक्रमित करते हुए श्री राज्यपाल निम्नलिखित भावी पथ प्रदर्षन्तर्ष सामान्य सिद्धान्त निर्धारित करने की सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं:-

4(1)(क) ग्राम पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित, सीलिंग में

-3-

-3-

प्राप्त तथा अन्य सरकारी कृषि योग्य भूमि का उपयोग विभिन्न अधिनियमों में वर्णित क्रमानुसार केवल पात्र व्यक्तियों के आवंटन तक ही सीमित रखा जायेगा। इस प्रकार की भूमि सिद्धान्ततः अधिनियम की प्राथमिकताओं में आने वाले पात्र व्यक्तियों को ही दी जायेगी, क्योंकि भूमि सुधार कानूनों के अभिप्राय के अनुसार उपलब्ध कृषि योग्य भूमि पर सर्वप्रथम अधिकार भूमिहीन खेतिहर मजदूरों तथा समाज के निर्बल वर्गों के व्यक्तियों का ही है।

(ख) ग्राम पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित, सीलिंग में प्राप्त एवं अन्य सरकारी कृषि अयोग्य भूमि ग्राम वासियों की सामान्य उपयोगिता तथा ग्राम के सुनियोजित विकास के लिए आरक्षित की जायेगी।

(ग) ग्राम पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित, सीलिंग में प्राप्त तथा अन्य सरकारी भूमि यदि भूमिहीनों में आवंटन और ग्राम वासियों की सामान्य उपयोगिता तथा ग्राम के सुनियोजित विकास के लिए आरक्षण के बाद भी शेष बचती है, तो ऐसी कृषि अयोग्य भूमि केवल राज्य सरकार के सेवारत/वाणिज्यिक विभागों एवं भारत सरकार के विभागों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए ही उपलब्ध करायी जायेगी। भारत सरकार के विभागों अथवा राज्य सरकार के सेवारत/वाणिज्यिक विभागों की आवश्यकता से तात्पर्य विभागों के कार्यालय, विभागों के अन्तर्गत ऐसे प्रतिष्ठानों, जिनमें सरकार की 50 प्रतिशत से अधिक अंश पूंजी लगी हो, के निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध कराये जाने से होगा। राज्य सरकार के सेवारत विभागों को भूमि निःशुल्क दी जायेगी और राज्य सरकार के वाणिज्यिक विभागों, भारत सरकार के विभागों तथा निजी उद्योगों/निजी कम्पनियों/निजी संस्थाओं/न्यास हेतु ग्रामीण क्षेत्र में चार गुना तथा शहरी क्षेत्र में दो गुना प्रचलित बाजार मूल्य या जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट जो अधिक हो, के अनुसार देय होंगी। भूमि के मूल्य के अतिरिक्त मालगुजारी के 150 गुने के बराबर पूंजीकृत मूल्य/वार्षिक किराया प्राप्त किया जायेगा। वार्षिक किराया प्रति वर्ष देय होगा। पुनर्गृहीत भूमि का मूल्य तथा पूंजीकृत मूल्य/वार्षिक किराया राजकोष में लेखा शीर्षक "0029-भूराजस्व-800-अन्य प्राप्तियों-08-मालिकाना राजस्व-0806-प्रकीर्ण प्राप्तियों" के नाम जमा कराया जायेगा।

(घ) यदि ग्राम पंचायत या स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित, सीलिंग में प्राप्त तथा अन्य सरकारी भूमि पात्र व्यक्तियों की आवंटन और ग्राम वासियों की सामान्य

उपयोगिता तथा ग्राम के सुनियोजित विकास के लिए ही पर्याप्त हो, तो राज्य सरकार के सेवारत/वाणिज्यिक विभागों तथा भारत सरकार के विभागों की

-4-

-4-

आवश्यकता की पूर्ति हेतु अर्जन की कार्यवाही के माध्यम से भूमि की व्यवस्था की जायेगी। यह प्रतिबन्ध सड़क, नहर तथा नलकूप आदि के निर्माण के लिए लागू न होगा, क्योंकि प्रश्नगत योजनाएं क्षैतिज में अर्थात् 180 डिग्री पर चलती हैं और उनके लिए उपर्युक्त प्रतिबन्ध लगाने से उनके कार्यान्वयन में अवरोध उत्पन्न हो सकता है। इसी प्रकार यह प्रतिबन्ध ऐसे क्षेत्रों के लिए भी लागू नहीं होगा जहाँ ग्राम पंचायत या स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित, सीलिंग में प्राप्त तथा अन्य सरकारी भूमि, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन हेतु अधिसूचित क्षेत्र के बीच में पड़ती हो।

- (ड) जहां तक राज्य सरकार के सेवारत/वाणिज्यिक विभागों तथा भारत सरकार के विभागों को भूमि देने में पारस्परिक वरीयता का प्रश्न है, सेवारत विभागों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जायेगी तथा अन्य दशा में उस विभाग को वरीयता दी जायेगी जिसके द्वारा पहले भूमि की मांग की गयी हो।
- (च) निजी उद्योगों/निजी कम्पनियों/निजी संस्थाओं/न्यास को ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित, सीलिंग में प्राप्त तथा अन्य सरकारी भूमि उसी दशा में उपलब्ध करायी जायेगी, जब भूमिहीन पात्र व्यक्तियों को आवंटन, ग्राम वासियों की सामान्य उपयोगिता एवं ग्राम के सुनियोजित विकास के लिए भूमि आरक्षण और राज्य सरकार के सेवारत/वाणिज्यिक विभागों तथा भारत सरकार के विभागों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए भूमि उपलब्ध कराने के बाद भी शेष रहती हो। निजी उद्योगों/निजी कम्पनियों/निजी संस्थाओं/न्यास की आवश्यकता के लिए भूमि सर्वाधिकार सहित देने के बजाय पट्टे पर एक निर्धारित अवधि के लिए दी जायेगी।
- (छ) राज्य सरकार के सेवारत विभागों, नवोदय विद्यालय/केन्द्रीय विद्यालय को भूमि निःशुल्क एवं सर्वाधिकार सहित तथा राज्य सरकार के वाणिज्यिक विभागों एवं भारत सरकार के विभागों को भूमि सःशुल्क एवं सर्वाधिकार सहित दी जायेगी। केवल निजी क्षेत्र को भूमि, मूल्य लेकर 30 वर्षों के लिए पट्टे पर (भूमिधरी अधिकार नहीं) दी जायेगी। पट्टेदार द्वारा पट्टे की शर्त का पालन किये जाने की दशा में पट्टेदार के अनुरोध पर प्रत्येक 30 वर्ष के बाद 30-30 वर्ष के पट्टे का

नवीनीकरण किया जा सकेगा, लेकिन पट्टे की समेकित अवधि 90 वर्ष से ज्यादा नहीं होगी।

(ज) भूमि को पुनर्ग्रहीत किये जाने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लेना अनिवार्य होगा कि वह

-5-

-5-

वस्तुतः ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित है।

- (झ) ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित भूमि के पुनर्ग्रहण हेतु भूमि प्रबन्धक समिति का प्रस्ताव आवश्यक होगा। भूमि प्रबन्धक समिति के प्रस्ताव का यथोचित आदर किया जाना आवश्यक होगा और जब तक कोई विशेष कारण न हो, समिति के प्रस्ताव के विपरीत भूमि का पुनर्ग्रहण नहीं किया जायेगा।
- (ट) आसामी तथा लाइसेन्सदार के अध्यासन वाली भूमि का पुनर्ग्रहण नहीं किया जा सकेगा। पुनर्ग्रहण के पूर्व यह भी देख लेना आवश्यक होगा कि सम्बन्धित भूमि पर उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा-76 की उपधारा (1) के अन्तर्गत किसी व्यक्ति को सीरदार/असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर के अधिकार तो नहीं मिल गये हैं। यदि हां, तो उस भूमि का पुनर्ग्रहण न होगा बल्कि यथा नियम भूमि अध्याप्ति की कार्यवाही अमल में लानी होगी।
- (ठ) पुनर्ग्रहीत की गयी भूमि पर ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किये गये विकास कार्य के लिए उन्हें उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 के उप नियम (3) के अनुसार प्रतिकर देय होगा।
- (ड) ग्राम पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित भूमि का पुनर्ग्रहण जिसके लिए किया जा रहा है, उसकी प्रास्थिति के बारे में स्थिति संबंधित प्रशासकीय विभाग द्वारा स्पष्ट की जायेगी अर्थात् भूमि का पुनर्ग्रहण जिसके लिए किया जा रहा है, वह राज्य सरकार का सेवारत या वाणिज्यिक विभाग है या भारत सरकार का विभाग है या निजी क्षेत्र है।
- (ढ) नवोदय विद्यालय/केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना हेतु भूमि निःशुल्क पुनर्ग्रहण कर माध्यमिक शिक्षा विभाग के निवर्तन पर रखी जायेगी जो भारत सरकार को भूमि के हस्तान्तरण हेतु पृथक से यथाआवश्यक आदेश जारी करेंगे।
- (ण) शासन के संबंधित प्रशासकीय विभागों की संस्तुति पर ही जिलाधिकारियों/मण्डलायुक्तों द्वारा भूमि का पुनर्ग्रहण किया जायेगा और पुनर्ग्रहीत भूमि शासन के संबंधित प्रशासकीय विभागों के निवर्तन पर रखी जायेगी जो उसके हस्तान्तरण हेतु पृथक से आवश्यक आदेश जारी करेंगे।

- (त) भूमि की कीमत तथा पूंजीकृत मूल्य/वार्षिक किराया निर्धारित लेखा शीर्षक के अन्तर्गत जमा कर दिये जाने के बाद ही पुनर्गृहीत/विनिमय की गयी भूमि का कब्जा प्रशासकीय विभागों को दिया जायेगा।
- (थ) प्रशासकीय विभाग को पुनर्गृहीत भूमि की आवश्यकता न होने की दशा में प्राथमिकता के आधार पर राजस्व विभाग को वापस किया जायेगा तथा निर्धारित

-6-

-6-

प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन हेतु भूमि का उपयोग नहीं किया जायेगा।

- (द) मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी के कार्यालय में पुनर्गृहण की गयी भूमियों/वस्तुओं का विवरण क्रमबद्ध रूप में उपलब्ध रहना अत्यन्त आवश्यक है। इसके हेतु कार्यालयों में आकार-पत्र-3 में एक रजिस्टर रखा जायेगा और प्रत्येक पुनर्गृहण का आदेश उसमें अंकित होने तथा सम्बन्धित अधिकारी के उस पर हस्ताक्षर करने के बाद निर्गत किया जायेगा।
- (ध) जिलाधिकारियों/मण्डलायुक्तों द्वारा जारी किये जाने वाले पुनर्गृहण आदेशों तथा त्रुटियों के निराकरण हेतु मानक आकार पत्र-1 संलग्न है। संलग्न मानक आकार पत्र-1 के आधार पर ही पुनर्गृहण के आदेश जारी किये जायेंगे।
- (न) जिलाधिकारियों/मण्डलायुक्तों द्वारा पुनर्गृहीत की गयी भूमि का विवरण संलग्न आकार पत्र-2 एवं 3 में षट्मासिक रूप से आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद को प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी तथा 15 जुलाई को भेजा जायेगा, जिसे संकलित कर आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद द्वारा शासन को प्रत्येक वर्ष 31 जनवरी व 31 जुलाई को भेजा जायेगा।
- (प) आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद द्वारा राजस्व परिषद के अधिकारियों के दौरों के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित भूमियों का पुनर्गृहण कार्य मण्डल व जिला स्तर पर शासन द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अधीन हो रहा है। संलग्न आकार पत्र-2 में षट्मासिक विवरण-पत्र परिषद के माध्यम से शासन को यथा समय प्राप्त होते रहें।

4(2) राजस्व अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 59 की उपधारा (2) में वर्णित ग्राम पंचायत या स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित खण्ड (एक), (तीन) तथा (चार) में निर्दिष्ट सभी या किन्हीं वस्तुओं को वापस लेने की उक्त अधिनियम की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) के अधीन राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्तव्य शक्ति उन दशाओं में जहाँ यह फाइनेन्शियल हैण्डबुक, खण्ड-5 के भाग-1 के परिशिष्ट 9 में उल्लिखित, राज्य सरकार के सेवारत विभाग हेतु अपेक्षित हों, संबंधित जनपदों के कलेक्टर को प्रत्यायोजित किया गया है।

इस प्रकार उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) के अधीन राज्य सरकार के सेवारत विभागों हेतु उक्त अधिनियम की धारा 59 की उपधारा (2) के खण्ड (एक), (तीन) तथा (चार) में निर्दिष्ट भूमियों/वस्तुओं का निःशुल्क पुनर्ग्रहण कर उपलब्ध कराने की कार्यवाही संबंधित जनपदों के कलेक्टर द्वारा की जायेगी।

4(3) राजस्व अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-741/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक

-7-

-7-

03 जून, 2016 द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 59 की उपधारा (2) में वर्णित ग्राम पंचायत या स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित खण्ड (एक), (तीन) तथा (चार) में निर्दिष्ट सभी या किन्हीं वस्तुओं को वापस लेने की उक्त अधिनियम की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) के अधीन राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्तव्य शक्ति उन दशाओं में जहाँ यह फाइनेन्शियल हैण्डबुक, खण्ड-5 के भाग-1 के परिशिष्ट 9 में उल्लिखित; राज्य सरकार के किसी वाणिज्यिक विभाग के लिए या जहाँ वह भारत सरकार के किसी विभाग के लिए अपेक्षित हों, रूपये 40 लाख की वस्तुओं हेतु संबंधित जनपदों के कलेक्टरों तथा रूपये 40 लाख से अधिक की वस्तुओं हेतु मण्डलायुक्तों को प्रत्यायोजित किया गया है। इस प्रकार उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) के अधीन धारा 59 की उपधारा (2) के खण्ड (एक), (तीन) तथा (चार) में निर्दिष्ट भूमियों/वस्तुओं के निःशुल्क पुनर्ग्रहण कर उपलब्ध कराने की कार्यवाही कलेक्टर तथा मण्डलायुक्त द्वारा की जायेगी।

4(4) उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 59 की उपधारा (2) के खण्ड (दो), (पाँच) तथा (छः) में निर्दिष्ट भूमियों/वस्तुओं के पुनर्ग्रहण की शक्ति शासन में निहित होगी। इसी प्रकार निजी उद्योगों/निजी कंपनियों/निजी संस्थाओं/न्यास हेतु उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 59 की उपधारा (2) के खण्ड (एक), (दो), (तीन), (चार), (पाँच) तथा (छः) में निर्दिष्ट सभी या किन्हीं वस्तुओं के पुनर्ग्रहण की कार्यवाही शासन द्वारा की जायेगी।

4(5) उपरिलिखित प्रेस्तर-4 (1) में विहित सामान्य सिद्धान्तों के अनुसार राज्य सरकार के सेवारत/वाणिज्यिक विभागों तथा भारत सरकार के विभागों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए ग्राम पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित, सीलिंग में प्राप्त तथा अन्य सरकारी भूमि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव के साथ संबंधित जिताधिकारी को अपने हस्ताक्षर से इस आशय का प्रमाण-पत्र देना होगा कि संबंधित ग्राम के समस्त पात्र व्यक्तियों की भूमि का आवंटन किया जा चुका है तथा ग्राम वासियों की सामान्य उपयोगिता तथा ग्राम के सुनियोजित विकास के लिए अपेक्षित भूमि आरक्षित की जा चुकी है। इसी प्रकार निजी उद्योगों/निजी कंपनियों/निजी संस्थाओं/न्यास को ग्राम पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित, सीलिंग में प्राप्त तथा अन्य सरकारी भूमि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव के साथ सम्बन्धित

जिलाधिकारी को इस आशय का प्रमाण-पत्र देना होगा कि संबंधित ग्राम में समस्त पात्र व्यक्तियों को भूमि का आवंटन किया जा चुका है तथा ग्राम की सामान्य उपयोगिता तथा ग्राम के सुनियोजित विकास के लिए अपेक्षित भूमि आरक्षित की जा चुकी है और राज्य सरकार के सेवारत/वाणिज्यिक विभागों एवं भारत सरकार के विभागों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए भूमि उपलब्ध करायी जा चुकी है अथवा उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

-8-

-8-

4(6) ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित भूमि के पुनर्ग्रहण के प्रस्ताव जिलाधिकारी के हस्ताक्षर से जनपद, तहसील, परगना, ग्राम, गाटा संख्या, रकबा (हेक्टेअर में) एवं भूमि की श्रेणी/प्रकृति का उल्लेख करते हुए संगत अभिलेखों, अपेक्षित प्रमाण-पत्रों एवं स्पष्ट संस्तुति सहित शासन के संबंधित प्रशासकीय विभाग के माध्यम से राजस्व अनुभाग-1 को भेजे जायेंगे। पुनर्ग्रहण के प्रस्ताव हेतु ऐसी भूमि का चयन न किया जाय जो हिन्चलाल तिवारी बनाम कमला देवी व अन्य तथा अन्य सदृश्य वादों में मा0 उच्चतम न्यायालय/मा0 उच्च न्यायालय के बाध्यकारी आदेश या किसी मा0 न्यायालय के स्थगन आदेश से प्रभावित हो।

5. जब विकास की बड़ी योजनाओं/कार्यों हेतु भूमि का बड़ा क्षेत्रफल क्रय/अधिग्रहण किया जाता है, तो उसके मध्य उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 77 की उपधारा (1) में वर्णित भूमियां, जिसमें भूमिधरी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते हैं, यथा-चकरोड, चकमार्ग, रास्ता, नाली, नाला, खलिहान, होलिका स्थल, खाद के गड्ढे, पशुचर, हड़ावर, शमशान स्थल व तालाब/पोखर आदि भी स्वाभाविक रूप से आते हैं। इसके फलस्वरूप इन परियोजनाओं का कार्य तो बाधित होता ही है साथ ही ग्रामीणों को असुविधा भी होती है। इस संबंध में ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित सार्वजनिक प्रयोजन हेतु सुरक्षित श्रेणी की भूमियों के शासन स्तर पर पुनर्ग्रहण/विनिमय या किसी लोक उपयोगिता की भूमि की श्रेणी अपवादात्मक प्रकरणों में परिवर्तन पर विचार किये जाने हेतु निम्नलिखित सामान्य सिद्धान्तों का निर्धारण किया जाता है:-

5(1) राज्य सरकार के सेवारत विभागों, नवोदय विद्यालय/केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना हेतु निःशुल्क भूमि दिये जाने की व्यवस्था है। अतएव पुनर्ग्रहीत की जाने वाली भूमि के बराबर ही उसी ग्राम पंचायत की सामान्य भूमि (सार्वजनिक उपयोग की नहीं) उसी सार्वजनिक उपयोग के लिए आरक्षित करते हुए पुनर्ग्रहण एवं विनिमय किया जायेगा।

5(2) राज्य सरकार के वाणिज्यिक विभागों, भारत सरकार के विभागों तथा निजी क्षेत्र को भूमि विनिमय के माध्यम से उपलब्ध करायी जाय अर्थात् संस्था द्वारा उसी ग्राम पंचायत में अवस्थित योजना की अपने स्वामित्व की भूमि से ग्राम पंचायत की भूमि का विनिमय किया जायेगा। यदि

स्वामित्व में भूमि नहीं है, तो क्रय या अन्य प्रकार से प्राप्त कर विनिमय हेतु उपलब्ध करायी जायेगी। विनिमय क्षेत्रफल के आधार पर न होकर उपयोगिता के आधार पर होगा। कलेक्टर द्वारा सार्वजनिक उपयोग की भूमियों को हरे रंग से तथा संस्था की भूमि को लाल रंग से गाटा संख्या, रकबा, भूमि की श्रेणी/प्रकृति, दोनों भूमियों के मध्य दूरी, सम्पर्क मार्ग तथा दोनों भूमियों से संबंधित एक रंगीन मानचित्र अलग-अलग रंगों से प्रदर्शित करते हुए उपलब्ध कराया जायेगा।

5(3) किसी संस्था द्वारा क्रय/अधिग्रहीत भूमि से घिरे ऐसे चकरोड, रास्ता, नाली, नाला इत्यादि

-9-

-9-

की भूमि, जो संस्था की बाउन्ड्री के अन्दर ही आरम्भ एवं समाप्त होते हैं अर्थात् जिनकी कोई सार्वजनिक उपयोगिता नहीं रह गयी है, का सःशुल्क पुनर्ग्रहण कर नियमानुसार संस्था को उपलब्ध कराया जायेगा।

5(4) ऐसे चकरोड/चकमार्ग/रास्ता/नाली/नाला इत्यादि जो संस्था की बाउन्ड्री के अंदर से होते हुए उसकी बाउन्ड्री के बाहर भी जाते हैं जिसके कारण ये सार्वजनिक उपयोग में आने योग्य हैं, का पुनर्ग्रहण सामान्यतया न किया जाय। यदि संस्था सुरक्षा आदि के कारणों से उसका पुनर्ग्रहण चाहती है, तो इससे पूर्व संस्था से उनकी बाउन्ड्री के किनारे उनके स्वामित्व की भूमि से सार्वजनिक प्रयोग हेतु वैकल्पिक व्यवस्था किये जाने के उपरान्त ही उनकी बाउन्ड्री के अंदर आने वाले चकरोड/चकमार्ग/रास्ता/नाली/नाला इत्यादि भूमियों को विनिमय द्वारा संस्था को उपलब्ध करा दिया जाय जिसका ग्रामवासी सुविधाजनक ढंग से सार्वजनिक प्रयोग कर सकें। यदि स्वामित्व में भूमि नहीं है, तो क्रय/अर्जन या अन्य प्रकार से प्राप्त कर विनिमय हेतु उपलब्ध करायी जायेगी। यह विनिमय क्षेत्रफल के आधार पर न होकर उपयोगिता के आधार पर होगा। संस्था की भूमि से विनिमय किये जाने पर भूमि का मूल्य नहीं लिया जायेगा।

5(5) क्रय/अधिग्रहीत भूमि के मध्य स्थित ग्राम पंचायत की ऐसी अन्य सार्वजनिक उपयोग की सुरक्षित श्रेणी की भूमियाँ, जिसमें भूमिधरी अधिकार उत्पन्न नहीं होते हैं यथा-पशुचर, खलिहान, हड़ावर, खाद के गडदे, होलिका स्थल, विद्यालय, पंचायत घर इत्यादि जिनकी सार्वजनिक उपयोगिता तो है, किन्तु संस्था के बड़े क्षेत्रफल के अंदर आ जाने के कारण इसका सार्वजनिक प्रयोग असुविधाजनक हो गया है, को पुनर्ग्रहण करने के लिये संस्था द्वारा उन सार्वजनिक उपयोग की भूमियों के बदले उतनी ही भूमि उसी ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरण में अवस्थित अपने स्वामित्व की भूमि से ऐसे स्थल पर विकल्प के रूप में उपयोगिता के आधार पर विनिमय द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा, जिसका ग्रामवासी सुविधाजनक ढंग से सार्वजनिक प्रयोग कर सकें। यदि स्वामित्व में भूमि नहीं है तो क्रय या अर्जन या अन्य प्रकार से प्राप्त कर विनिमय हेतु उपलब्ध करायी जायेगी। विनिमय क्षेत्रफल के आधार पर न होकर उपयोगिता के

आधार पर होगा। यदि जिलाधिकारी द्वारा इस आशय का प्रमाण-पत्र दिया जाता है कि क्रय/अधिग्रहीत भूमि के मध्य स्थित सार्वजनिक उपयोग की सुरक्षित श्रेणी की भूमियाँ यथा-पशुचर, खलिहान, हड़ावर, खाद के गड्ढे, होलिका स्थल, विद्यालय, पंचायत घर आदि की वर्तमान में सार्वजनिक उपयोगिता नहीं रह गयी है, तो ऐसी भूमियों का श्रेणी परिवर्तन कर सःशुल्क पुनर्ग्रहण संस्था को उपलब्ध करा दिया जायेगा। लोक प्रयोजन भूमि के श्रेणी परिवर्तन का मूल्य भी देय होगा।

5(6) मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या-4787/2001 हिंचलाल तिवारी बनाम

-10-

-10-

कमला देवी व अन्य सिविल अपील संख्या-1132/2011 जगपाल सिंह व अन्य बनाम पंजाब राज्य व अन्य तथा मा0 उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या-38910/2013 इकबाल अहमद व अन्य बनाम डी0डी0सी0 देवरिया व अन्य में पारित आदेश के क्रम में तालाब/पोखर/घौला तथा अन्य जल प्रणालियाँ इत्यादि की भूमि का पुनर्ग्रहण नहीं किया जा सकता है। उक्त निर्देश पर्यावरण की सुरक्षा तथा भौगोलिक परिस्थितिकी को बनाये रखने के दृष्टिगत दिये गये हैं। यदि विकास की बड़ी परियोजनाओं हेतु क्रय/अधिग्रहीत भूमि के मध्य तालाब/पोखर/घौला आदि की भूमि आती है, तो उक्त भूमियों के पुनर्ग्रहण के बिना विकास की महत्वाकांक्षी परियोजनाएं पूर्ण नहीं हो सकती हैं। ऐसी स्थिति में उक्त भूमियों के पुनर्ग्रहण की कार्यवाही पर इस प्रतिबन्ध के अधीन विचार किया जा सकेगा कि संस्था द्वारा मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गयी व्यवस्था के अनुरूप तालाब/पोखर/घौला आदि के प्राकृतिक स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे बल्कि पूर्व की भाँति तालाब/पोखर/घौला आदि का प्राकृतिक स्वरूप एवं जल संचयन की क्षमता तथा नैसर्गिक जल प्रवाह को यथावत् बनाये रखना भी सुनिश्चित करेंगे। यदि संस्था सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से ऐसा कर पाने में सक्षम न हो तो ग्राम वासियों की उपयोगिता के आधार पर वैकल्पिक व्यवस्था द्वारा विद्यमान क्षेत्रफल से 25 प्रतिशत अधिक अर्थात् 125 प्रतिशत क्षेत्रफल पर तालाब की खुदाई करा करके उसे गहरा बनाना सुनिश्चित करेगी। जिलाधिकारी द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि खुदाई किये जाने वाले तालाब में वर्षा का अधिकाधिक जल का संचयन हो सके ताकि ग्राम वासियों द्वारा तालाब में संचित जल का समुचित उपयोग किया जा सके। उक्त व्यवस्था सुनिश्चित होने के उपरान्त ही तालाब/पोखर/घौला आदि की भूमि विनिमय के द्वारा संस्था को उपलब्ध कराया जायेगा। संस्था द्वारा ग्राम वासियों की उपयोगिता के आधार पर तालाब/पोखर/घौला आदि की वैकल्पिक व्यवस्था कराये जाने की दशा में संस्था से भूमि का मूल्य नहीं लिया जायेगा। संबंधित प्रशासनिक विभाग तथा कलेक्टर तालाब/पोखर/घौला आदि की उपयोगिता के आधार पर समतुल्य वैकल्पिक व्यवस्था से संतुष्ट होने के उपरान्त ही भूमि का कब्जा संस्था को हस्तान्तरित करेंगे। यह कार्यवाही 30 दिन में अनिवार्य रूप से पूर्ण की जायेगी ताकि ग्राम

वासियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। सम्बन्धित कलेक्टर द्वारा उपयोगिता के आधार पर वैकल्पिक व्यवस्था की पूर्ण सूचना तथा जॉच रिपोर्ट संबंधित प्रशासकीय विभाग, आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद तथा राजस्व अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को 45 दिन में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

5(7) कब्रिस्तान, श्मसान तथा धार्मिक स्थलों का पुनर्ग्रहण नहीं किया जायेगा और यदि ऐसी भूमि पुनर्ग्रहीत भूमि की सीमा के भीतर आती हो, तो संस्था द्वारा इसके सार्वजनिक प्रयोग हेतु संपर्क मार्ग दिया जायेगा। यदि किन्हीं विशेष परिस्थितियों में उनमें से किसी एक का पुनर्ग्रहण

-11-

-11-

अनिवार्य हो, तो वैकल्पिक व्यवस्था करना तथा यह देख लेना आवश्यक होगा कि ऐसी भूमियों के पुनर्ग्रहण से किसी धार्मिक उत्तेजना की आशंका तो नहीं है। यदि हाँ, तो ऐसी वस्तु या वस्तुओं का पुनर्ग्रहण नहीं किया जायेगा।

5(8) ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित भूमियों का संस्था की भूमि से विनिमय की अनुमति शासन द्वारा दी जायेगी। अतः उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 101 के अधीन कलेक्टर द्वारा विनिमय का प्रस्ताव संगत अभिलेखा एवं रंगीन मानचित्र के साथ शासन के सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग को प्रेषित किये जायेंगे। प्रशासकीय विभाग विनिमय के प्रस्ताव पर अपनी स्पष्ट संस्तुति सहित राजस्व अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध करायेंगे।

5(9) जनपद/मण्डल/शासन स्तर पर भूमि के पुनर्ग्रहण आदेश निर्गत होने से पूर्व प्रस्तावित भूमियों पर संस्था द्वारा निर्माण कार्य आदि प्रारम्भ नहीं किया जायेगा। अतएव कलेक्टर यह सुनिश्चित करेंगे कि जब तक प्रस्तावित भूमि का पुनर्ग्रहण आदेश कलेक्टर/मण्डलायुक्त या शासन स्तर से निर्गत नहीं हो जाता है, तब तक प्रस्तावित भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य/कब्जा आदि न होने पाये। यदि बिना पुनर्ग्रहण आदेश निर्गत हुए प्रस्तावित भूमि पर कोई निर्माण कार्य/कब्जा आदि किया जाता है, तो इसके लिए सम्बन्धित कलेक्टर स्वयं उत्तरदायी होंगे।

5(10) सार्वजनिक उपयोग की भूमि के बदले शासन द्वारा निर्धारित वैकल्पिक व्यवस्था तथा अन्य निर्धारित सभी शर्तों का अनुपालन कलेक्टर द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा।

5(11) आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में आवासीय समस्याओं के निराकरण हेतु अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त उच्च गुणवत्ता की जीवन पद्धति वाले आवासीय टाउनशिप के विकास हेतु निजी पूँजी निवेश के माध्यम से विकसित की जा रही हाइटेक टाउनशिप/इण्टीग्रेटेड टाउनशिप/न्यू टाउनशिप की नीतियाँ निर्धारित की गयी हैं। टाउनशिप के विकास हेतु चयनित स्थल के अन्तर्गत ग्राम पंचायत

/स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित भूमि भी स्वाभाविक रूप से आती है। प्रस्तावित टाउनशिप का एकीकृत विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से टाउनशिप के अन्तर्गत आने वाले ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित भूमि का पुनर्ग्रहण आवश्यक होता है।

आवासीय टाउनशिप के विकास हेतु ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित भूमियों को पुनर्ग्रहीत कर आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के निवर्तन पर रखते हुए संबंधित विकास प्राधिकरण को आवासीय नीतियों के प्रयोजनार्थ उपलब्ध करायी जायेगी। संबंधित विकास प्राधिकरण द्वारा उक्त भूमि संबंधित विकासकर्ता को नियमानुसार उपलब्ध करायी जायेगी और विकासकर्ता का उक्त भूमि तृतीय पक्ष के लिए

-12-

-12-

हस्तान्तरित करने की छूट होगी और इस हेतु शासन से किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। संबंधित विकास प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद/संबंधित जिलाधिकारी के माध्यम से आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यदि भूमि ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित है, तो तृतीय पक्ष को बिना पुनर्ग्रहण आदेश के हस्तान्तरित नहीं किया जायेगा। हाईटेक टाउनशिप/इंटीग्रेटेड टाउनशिप/न्यू टाउनशिप परियोजना के अन्तर्गत पड़ने वाली ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित भूमियों का पुनर्ग्रहण हाईटेक टाउनशिप/इंटीग्रेटेड टाउनशिप/न्यू टाउनशिप की नीति के अनुसार निर्धारित अवधि 60 दिन में पूर्ण कर ली जाय। ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित भूमियों/वस्तुओं के पुनर्ग्रहण का प्रस्ताव कलेक्टर द्वारा समस्त अभिलेखों सहित आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराया जायेगा। आवास एवं शहरी नियोजन द्वारा 15 दिन के अन्दर परीक्षणोपरान्त स्पष्ट संस्तुति/सहमति सहित प्रस्ताव राजस्व विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

5(12) प्रदेश में विद्युत एवं अवस्थापना विकास के सुदृढीकरण हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण विद्युतीकरण की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत स्थापित किये जाने वाले नये विद्युत उपकेन्द्रों क्षमता 33-11 के.वी. के साथ अन्य विभव के विद्युत उपकेन्द्रों यथा-132 के.वी., 220 के.वी., 400 के.वी. एवं 765 के.वी. की स्थापना हेतु उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 77 की उपधारा (1) में वर्णित भूमियाँ यथा-चकरोड, रास्ता, नाली, नाला, पशुचर, खलिहान, हड़ावर, खाद के गड्ढे, होलिका स्थल, विद्यालय, पंचायत घर आदि (वह भूमि जिसमें भूमिधरी अधिकार उत्पन्न नहीं होते) से आच्छादित भूमि को छोड़कर उपलब्धता के आधार पर उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 59 की उपधारा (2) के खण्ड (एक), (तीन) तथा (चार) में निर्दिष्ट भूमि को 01 रुपये प्रति एकड़ सांकेतिक मूल्य दर पर 30 वर्ष के लिए पट्टे पर जिसे बाद में 30-30 वर्ष पर प्रशासनिक विभाग की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए उनके अनुरोधानुसार 90 वर्ष के पट्टे पर उत्तर प्रदेश पाँवर कारपोरेशन/वितरण निगमों (मध्यांचल, पूर्वांचल,

पश्चिमांचल, दक्षिणांचल, केस्को व उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०) को उपलब्ध करायी जायेगी। भूमि के सांकेतिक मूल्य के अतिरिक्त मालगुजारी के 150 गुने के बराबर पूंजीकृत मूल्य/वार्षिक किराया प्राप्त किया जायेगा। वार्षिक किराया प्रति वर्ष देय होगा। पुनर्गृहीत भूमि का मूल्य तथा पूंजीकृत मूल्य/वार्षिक किराया निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा किया जायेगा। विद्युत उपकेन्द्रों के निर्माण हेतु संबंधित आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु भूमि की आवश्यकता निम्नवत् होगी-

(अ) 33/11 के.वी

(क) कबाल नगरों, बड़े शहरों तथा जिला मुख्यालयों हेतु 1.50 एकड़

-13-

-13-

(ख) अर्द्धशहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में	2.00	एकड़
(ब) 132 के.वी.	3.50	एकड़
(स) 220 के.वी.	10.00	एकड़
(द) 400 के.वी.	50.00	एकड़
(य) 765 के.वी.	82.00	एकड़

यदि प्रदेश में विद्युत सुधार एवं विकास के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण विद्युतीकरण की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत स्थापित किये जाने वाले नये विद्युत उपकेन्द्रों की स्थापना निजी संस्था के माध्यम से की जाती है, तो ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित भूमि सःशुल्क पुनर्गृहण कर नियमानुसार पट्टे पर उपलब्ध कराया जायेगा। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 59 की उपधारा (2) के खण्ड (एक), (दो), (तीन), (चार), (पाँच) तथा (छः) में निर्दिष्ट भूमियों को उपलब्ध कराने की कार्यवाही शासन स्तर से की जायेगी।

कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

भवदीय,

सुरेश चन्द्रा  
प्रमुख सचिव।

संख्या-744(1)/एक-1-2016-20(5)/2016 तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

3. चकबन्दी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
5. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
6. निजी सचिव, मा0 राजस्व मंत्री जी।
7. राजस्व विभाग के समस्त अनुभाग।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,  
(जय प्रकाश सगर)  
विशेष सचिव।

-1-

जिलाधिकारियों/मण्डलायुक्तों द्वारा जारी किये जाने वाले पुनर्ग्रहण के आदेशों का मानक आकार पत्र

आकार पत्र 1

आदेश

संख्या..... दिनांक .....

शासनादेश संख्या.....दिनांक.....का आंशिक परिष्कार करते हुए और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (30प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या ..... दिनांक.....द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं.....जिलाधिकारी/मण्डलायुक्त.....संलग्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक.....के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ।

### अनुसूची

क्रम सं०	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेअर में)	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण:- (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही)

								है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

आज्ञा से,

(जिलाधिकारी/मण्डलायुक्त का नाम)

➤ टिप्पणी- रिक्त स्थान में उन शासनादेश तथा दिनांक भरी जायेगी जिसके द्वारा पुनर्गृहीत की जाने वाली भूमि ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित की गई थी।

-2-

-2-

आकार पत्र 2

जिलाधिकारी/मण्डलायुक्त द्वारा पुनर्गृहीत की गई भूमि का षटमासिक विवरण  
30 जून, 20...../31 दिसम्बर, 20.....को समाप्त होने वाला षटमास,  
जिला ....., तहसील ....., परगना.....

क्र०सं०	विभाग का नाम जिसके लिए भूमि पुनर्गृहीत की गई	प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्गृहीत की गई	ग्राम पंचायत	पुनर्गृहीत भूमि का क्षेत्रफल एवं भूमि की प्रकृति/श्रेणी	पुनर्गृहीत की गई भूमि का मूल्य	पुनर्गृहीत की गई भूमि की मालगुजारी का पूँजीकृत मूल्य/ वार्षिक किराया
1	2	3	4	5	6	7

आकार पत्र 3

पुनर्गृहण की जाने वाली भूमि का गाटा संख्या, रकबा एवं	ग्राम जिसमें पुनर्गृहण की जाने वाली भूमि	ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरण जिसमें पुनर्गृहण की जाने वाली भूमि स्थित है।	पुनर्गृहीत की जाने वाली भूमि का मूल्य	पुनर्गृहीत की जाने वाली भूमि की मालगुजारी का पूँजीकृत मूल्य/वार्षिक	भूमि का मूल्य तथा पूँजीकृत मूल्य	पुनर्गृहण आदेश निर्गत किए जाने की तिथि व आदेश संख्या/विभाग	प्रभारी अधिकारी के हस्ताक्षर नाम व पदनाम
--	--	---	---------------------------------------	---	----------------------------------	--	--

Pallavi

भूमि की प्रकृति/श्रेणी	स्थित है			किराया	जमा करने का विवरण	जिसके लिए पुनर्ग्रहण किया गया	सहित
1	2	3	4	5	6	7	8

-----

Shashnadesh.up.nic.in

कार्यालय  
पत्रांक 2666 / 18-1 दिनांक गौतमबुद्धनगर 23-11-2022।  
जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर  
कार्यालय आदेश

उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत रागरा जनपदों में वेटलैण्ड के सर्वे, चिन्हांकन, संरक्षण एवं चिरन्तर (सस्टेनेबुल) उपयोग हेतु मुख्य राशिग, उत्तर प्रदेश शासन के शारानादेश संख्या-757/14-4-2009 दिनांक 25.मार्च 2009 द्वारा जिला स्तरीय राशिति का गठन किया गया है। जिला स्तरीय वेटलैण्ड समिति के सदस्यगण निम्नवत हैं:-

(क) जिलाधिकारी	-	अध्यक्ष।
(ख) जिला कृषि अधिकारी	-	सदस्य।
(ग) अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग	-	सदस्य।
(घ) मत्स्य अधिकारी	-	सदस्य।
(च) प्रभागीय वनाधिकारी/प्रभागीय निदेशक	-	सदस्य सचिव।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 177/2022, अभीष्ट कुसुम गुप्ता बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य में पारित आदेश दिनांक 12-10-2022 के निर्देश के क्रम जनपद में वेटलैण्ड के सर्वे, चिन्हांकन, संरक्षण एवं चिरन्तर (सस्टेनेबुल) उपयोग हेतु में जिला स्तर पर वेटलैण्ड समिति के पुर्नगठन की आवश्यकता है। अतः समिति के उक्त सदस्यों के साथ-साथ समिति में निम्न अधिकारियों को भी सम्मिलित करने के आदेश निर्गत किये जाते हैं:-

(क) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा/ग्रेटर नोएडा/यमुना द्वारा अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी से अभिन्न नामित अधिकारी	-	सदस्य।
(ख) मुख्य विकास अधिकारी, गौतमबुद्धनगर	-	सदस्य।
(ग) अपर जिलाधिकारी वित्त/राजस्व गौतमबुद्धनगर	-	सदस्य।
(घ) समस्त उप जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर	-	सदस्य।
(ङ) क्षेत्राधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, नोएडा	-	सदस्य।
(च) क्षेत्राधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा	-	सदस्य।
(छ) जिला पंचायत राज अधिकारी, गौतमबुद्धनगर	-	सदस्य।

23/11/22  
जिलाधिकारी  
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक 2666 / दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 12-10-2022 के अनुपालन में अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी अथवा ओ0एस0डी0 से अभिन्न अधिकारियों को नामित करते हुए उनके नाम, पदनाम तथा मोबाईल न0 सूचित करने की कृपा करें।

1. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा/ग्रेटर नोएडा/यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण।

23/11/22  
जिलाधिकारी  
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक 2666 / दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य विकास अधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
2. प्रभागीय वनाधिकारी/सदस्य सचिव जिला वेटलैण्ड समिति।
3. समस्त सदस्यगण जिला वेटलैण्ड समिति।

23/11/22  
जिलाधिकारी  
गौतमबुद्धनगर।

कार्यवृत्तः—

## Annexure A- 11

दिनांक 24-04-2025 को अपरान्ह 12.00 बजे श्री मनीष कुमार वर्मा, जिलाधिकारी, महोदय, गौतमबुद्धनगर के निर्देश में अपर जिलाधिकारी, वित्त एवं राजस्व की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार जिला वेटलैण्ड समिति की बैठक आयोजित की गयी। बैठक में श्री विद्यासागर शुक्ल, मुख्य विकास अधिकारी, गौतमबुद्धनगर श्री प्रमोद कुमार, प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर, एवं अन्य जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर द्वारा बैठक में उपस्थित अधिकारियों का स्वागत किया गया। बैठक में निम्न बिन्दुओं पर विचार-विमर्श किया गया:-

1. बैठक में प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर द्वारा अवगत कराया गया कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या-177/2022, अमीष्ठ कुसुम गुप्ता बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा दिनांक 26.11.2024 को आदेश पारित किये गये हैं। मा0 न्यायालय के पारित आदेश के क्रम में तहसीलवार एवं जियो कॉर्डिनेट के साथ निर्धारित प्रारूप में पूर्ण एवं त्रुटिरहित सूचना प्रत्येक दशा में निम्न प्रारूप में एक सप्ताह के अन्वदर अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), गौतमबुद्धनगर को उपलब्ध कराते हुये एवं प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर वन प्रभाग, गौतमबुद्धनगर को भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे, जिससे मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में ससमय प्रतिउत्तर दाखिल किया जा सके।

Name of the Pond with Geotag Area /Location	Encroachment/ Encroachment Free	Date till when it can be free	Rejuvenation/ Restoration plan for this pond	Timeline for each Activity	Closure date/ Commission Date	Details of funds allocated for the Rejuvenation of the pond	Total No. of ponds under 3 Tehsil	Encroach ment pending	Pending Case
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

(कार्यवाही समस्त उप जिलाधिकारी/समस्त प्राधिकरण/अधिकासी अधिकारी नगरपालिका दादरी)

2. बैठक में प्रभागीय वनाधिकारी/सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि जो तालाब विकास कार्यों के कारण नष्ट हो गये हैं अथवा जिनमें अतिक्रमण हो चुका है उन तालाबों को Mitigation में शामिल करने की कार्यवाही की जाये। पूर्व बैठक में भी इस संबंध में निर्देश दिये गये थे किन्तु वांछित कार्ययोजना प्राप्त नहीं हुई। समिति अध्यक्ष द्वारा निर्देश दिये गये कि उक्त कार्यवाही की कार्ययोजना बनाकर 24 घण्टे के अन्दर समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाये।

(कार्यवाही समस्त प्राधिकरण, समस्त उपजिलाधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी)

3. जनपद में स्थित 2.25 हेक्टर एवं उससे अधिक क्षेत्रफल की सूचना भी प्राथमिकता के आधार निर्धारित प्रपत्र में प्रभागीय वनाधिकारी, कार्यालय में उपलब्ध कराने हेतु बार-बार निर्देशित किया जा रहा है किन्तु वांछित सूचना प्राप्त नहीं हो रही है। समिति अध्यक्ष द्वारा निर्देश दिये गये कि वांछित सूचना निर्धारित प्रपत्र में तीन दिन के अन्दर उपलब्ध करा दी जाये।

## प्रारूप

क्र0 सं0	तहसील का नाम	विकासखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	गाटा संख्या/स्वामित्व	वर्तमान स्थिति	गूगल इमेज	भौतिक सत्यापन करने वाले अधिकारी/कर्मचारी का नाम/पदनाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9

(कार्यवाही उपजिलाधिकारी, सदर, जेवर, समस्त प्राधिकरण, समस्त नगर पालिका,नगर पंचायत)

4. समिति अध्यक्ष द्वारा निर्देश दिये गये कि समस्त उप जिलाधिकारी, संबंधित प्राधिकरण से समन्वय स्थापित कर तालाबों एवं वेटलैण्ड की अद्यतन सूचना उपलब्ध करायेगें तथा समस्त उपजिलाधिकारी द्वारा धारा-67 के अन्तर्गत अतिक्रमण से संबंधित समस्त लम्बित वादों को प्राथमिकता के आधार पर यथाशीघ्र निस्तारित करते हुए अनुपालन आख्या निर्धारित समय-समय पर आहुत बैठक में प्रभागीय वनाधिकारी गौतमबुद्धनगर को लिखित रूप में अवगत करायेगें। (कार्यवाही समस्त प्राधिकरण समस्त उपजिलाधिकारी, अधिकासी अधिकारी नगर पालिक)
5. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-4 उत्तर प्रदेश शासन की शासकीय पत्र संख्या 1171/81-4-2024 दिनांक 14-10-2024 द्वारा निर्देश प्राप्त हुए थे कि जनपद में ग्राम पंचायत स्तर पर आर्द्रभूमि समिति का गठन किया

ज्राये। इस संबंध में प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर द्वारा अपने पत्र संख्या 2203/18-1 दिनांक 12-11-2024 द्वारा समस्त संबंधित को शासकीय पत्र संलग्न कर समिति के गठन हेतु पत्र प्रेषित किया गया था। बैठक में समिति अध्यक्ष द्वारा निर्देश दिये गये उक्त समिति के गठन हेतु जिला पंचायत राज अधिकारी, गौतमबुद्धनगर को नोडल अधिकारी, नामिति किया जाता है एवं निर्देशित किया गया है कि उक्त कार्यवाही पूर्ण कर आगामी बैठक में अवगत कराया जाये।

(कार्यवाही मुख्य विकास अधिकारी, गौतमबुद्धनगर/जिला पंचायत राज अधिकारी, गौतमबुद्धनगर, समस्त उपजिलाधिकारी, जनपद में स्थित समस्त वेटलैण्ड की ळतवनदक जतनजीपदह एवं ठवनदकंतल कमउंतबंजपवद का कार्य कराये जाने के संबंध में जिलाधिकारी महोदय के पत्रांक 4223/18-1 दिनांक 26-03-2025 द्वारा निर्देश जारी किये गये थे। किन्तु अभी तक उक्त कार्य सम्पादित नहीं किया गया है। बैठक में निर्देश दिये गये कि पत्र में उल्लिखित निर्देशानुसार कार्यवाही पूर्ण कर अवगत कराया जाये। (कार्यवाही समस्त प्राधिकरण/समस्त उपजिलाधिकारी, समस्त क्षेत्रीय वन अधिकारी)

बैठक धन्यवाद के साथ समाप्त हुई।

(अतुल कुमार)

अपर जिलाधिकारी

गौतमबुद्धनगर

अपर जिलाधिकारी (वित्त/राजस्व),  
गौतमबुद्धनगर

कार्यालय अपर जिलाधिकारी, (वि/रा0

गौतमबुद्धनगर

पत्रांक: 4757/10-1

, दिनांक

गौतमबुद्धनगर

01-05-2025।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित की संबंधित को यथोचित कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने की कृपा करें।

1. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण।
2. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नोएडा आद्योगिक विकास प्राधिकरण।
3. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण।

(अतुल कुमार)

अपर जिलाधिकारी

गौतमबुद्धनगर

पत्रांक 4757/ , दिनांकित।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य विकास अधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
2. अपर जिलाधिकारी वित्त/राजस्व गौतमबुद्धनगर।
3. प्रभागीय वनाधिकारी/सदस्य सचिव गौतमबुद्धनगर।
4. जिला विकास अधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
5. उपजिलाधिकारी दादरी/सदर/जेवर।
6. क्षेत्राधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड नोएडा।
7. क्षेत्राधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड ग्रेटर नोएडा।
8. जिला पंचायत राज अधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
9. अधिशासी अभियंता, भूगर्भ जल विभाग, गौतमबुद्धनगर।
10. अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग, गौतमबुद्धनगर।
11. श्री अभीष्ट कुसुम गुप्ता, पर्यावरणविद-विशेष आमंत्रित सदस्य जिला वेटलैण्ड समिति गौतमबुद्धनगर।
12. समस्त खण्ड विकास अधिकारी गौतमबुद्धनगर।

(अतुल कुमार)

अपर जिलाधिकारी

गौतमबुद्धनगर

अपर जिलाधिकारी (वित्त/राजस्व),  
गौतमबुद्धनगर

## कार्यवृत्त:-

दिनांक 14-05-2025 को अपराह्न 12.00 बजे श्री मनीष कुमार वर्मा, जिलाधिकारी, महोदय, गौतमबुद्धनगर की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार सूरजपुर, ग्रेटर नोएडा में जिला वेटलैण्ड समिति की बैठक आयोजित की गयी। बैठक में श्री एस0पी0 सिंह परमेश, जिला विकास अधिकारी, गौतमबुद्धनगर श्री प्रमोद कुमार, प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर, एवं अन्य जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर द्वारा बैठक में उपस्थित अधिकारियों का स्वागत किया गया। बैठक में निम्न बिन्दुओं पर विचार-विमर्श किया गया:-

1. बैठक में प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर द्वारा अवगत कराया गया कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या-177/2022, अभीष्ट कुसुम गुप्ता बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा दिनांक 26.11.2024 को आदेश पारित किये गये हैं। मा0 न्यायालय के पारित आदेश के क्रम में तहसीलवार एवं जियो कॉर्डिनेट के साथ निर्धारित प्रारूप में पूर्ण एवं त्रुटिरहित सूचना प्रत्येक दशा में निम्न प्रारूप में एक सप्ताह के अन्दर अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), गौतमबुद्धनगर को उपलब्ध कराते हुये एवं प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर वन प्रभाग, गौतमबुद्धनगर को भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे, जिससे मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में ससमय प्रतिउत्तर दाखिल किया जा सके।

Name of the Pond with Geotag Area /Location	Encroachment/ Encroachment Free	Date till when it can be free	Rejuvenation/ Restoration plan for this pond	Timeline for each Activity	Closure date/ Commission Date	Details of funds allocated for the Rejuvenation of the pond	Total No. of ponds under 3 Tehsil	Encroachment pending	Pending Case
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

(कार्यवाही समस्त उप जिलाधिकारी/समस्त प्राधिकरण/अधिसासी अधिकारी नगरपालिका दादरी)

2. बैठक में प्रभागीय वनाधिकारी/सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि जो तालाब विकास कार्यो के कारण नष्ट हो गये है अथवा जिनमें अतिक्रमण हो चुका है उन तालाबो को Mitigation में शामिल करने की कार्यवाही की जाये। पूर्व बैठक में भी इस संबंध में निर्देश दिये गये थे किन्तु वांछित कार्ययोजना प्राप्त नहीं हुई। समिति अध्यक्ष द्वारा निर्देश दिये गये कि उक्त कार्यवाही की कार्ययोजना बनाकर 24 घण्टे के अन्दर समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाये।

(कार्यवाही समस्त प्राधिकरण, समस्त उपजिलाधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी)

3. प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर द्वारा अवगत कराया गया कि विगत वर्षो में जनपद में तालाबो सुदृढीकरण करने के संबंध में कार्य किये गये है। उन तालाबो को सूचीबद्ध कर मय फोटोग्राफ के उपलब्ध कराने हेतु निर्देश दिये किये। (कार्यवाही समस्त प्राधिकरण, समस्त उपजिलाधिकारी, समस्त खण्ड विकास अधिकारी)
4. जनपद में स्थित 2.25 हेक्टर एवं उससे अधिक क्षेत्रफल की सूचना भी प्राथमिकता के आधार निर्धारित प्रपत्र में प्रभागीय वनाधिकारी, कार्यालय में उपलब्ध कराने हेतु बार-बार निर्देशित किया जा रहा है किन्तु वांछित सूचना प्राप्त नहीं हो रही है। समिति अध्यक्ष द्वारा निर्देश दिये गये कि वांछित सूचना निर्धारित प्रपत्र में तीन दिन के अन्दर उपलब्ध करा दी जाये।

### प्रारूप

क्र0 सं0	तहसील का नाम	विकासखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	गाटा संख्या/स्वामित्व	वर्तमान स्थिति	गूगल इमेज	भौतिक सत्यापन करने वाले अधिकारी/कर्मचारी का नाम/पदनाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9

(कार्यवाही उपजिलाधिकारी, सदर, जेवर, समस्त प्राधिकरण, समस्त नगर पालिका, नगर पंचायत)

5. समिति अध्यक्ष द्वारा निर्देश दिये गये कि समस्त उप जिलाधिकारी, संबंधित प्राधिकरण से समन्वय स्थापित कर तालाबो एवं वेटलैण्ड की अद्यतन सूचना उपलब्ध करायेगें तथा समस्त उपजिलाधिकारी द्वारा धारा-67 के अन्तर्गत अतिक्रमण से संबंधित समस्त लम्बित वादो को प्राथमिकता के आधार पर यथाशीघ्र निस्तारित करते हुए अनुपालन आख्या निर्धारित समयावधि में उपलब्ध करायेंग तथा तालिकावार विवरण प्रस्तुत करेगें। इस संबंध में संबंधित उप जिलाधिकारी समय-समय पर आहुत बैठक में प्रभागीय वनाधिकारी गौतमबुद्धनगर को लिखित रूप में अवगत करायेगें। (कार्यवाही समस्त प्राधिकरण समस्त उपजिलाधिकारी, अधिसासी अधिकारी नगर पालिक)
6. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-4 उत्तर प्रदेश शासन की शासकीय पत्र संख्या 1171/81-4-2024 दिनांक 14-10-2024 द्वारा निर्देश प्राप्त हुए थे कि जनपद में ग्राम पंचायत स्तर पर आर्द्रभूमि समिति का गठन किया जाये। इस संबंध में प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर द्वारा अपने पत्र संख्या 2203/18-1 दिनांक 12-11-2024

द्वारा समस्त संबंधित को शासकीय पत्र संलग्न कर समिति के गठन हेतु पत्र प्रेषित किया गया था। बैठक में समिति अध्यक्ष द्वारा निर्देश दिये गये उक्त समिति के गठन हेतु जिला पंचायत राज अधिकारी, गौतमबुद्धनगर को नोडल अधिकारी, नामिति किया जाता है एवं निर्देशित किया गया है कि उक्त कार्यवाही पूर्ण कर आगामी बैठक में अवगत कराया जाये।

7. जनपद में स्थित समस्त वेटलैण्ड की Ground truthing एवं Boundary Demarcation का कार्य कराये जाने के संबंध में जिलाधिकारी महोदय के पत्रांक 4223/18-1 दिनांक 26-03-2025 द्वारा निर्देश जारी किये गये थे। किन्तु अभी तक उक्त कार्य सम्पादित नहीं किया गया है। बैठक में निर्देश दिये गये कि पत्र में उल्लिखित निर्देशानुसार कार्यवाही पूर्ण कर अवगत कराया जाये। (कार्यवाही समस्त प्राधिकरण/समस्त उपजिलाधिकारी, समस्त क्षेत्रीय वन अधिकारी)

बैठक धन्यवाद के साथ समाप्त हुई।

16.05.25  
जिलाधिकारी, /अध्यक्ष  
जिला आर्द्र भूमि समिति,  
गौतमबुद्धनगर

## कार्यालय जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर

पत्रांक: 5025 /10-1 , दिनांक गौतमबुद्धनगर 17-05-2025।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित की संबंधित को यथोचित कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने की कृपा करें।

1. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण।
2. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नोएडा आद्योगिक विकास प्राधिकरण।
3. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण।

जिलाधिकारी, /अध्यक्ष  
जिला आर्द्र भूमि समिति,  
गौतमबुद्धनगर

पत्रांक 5025 / , दिनांकित।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य विकास अधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
2. अपर जिलाधिकारी वित्त/राजस्व गौतमबुद्धनगर।
3. प्रभागीय वनाधिकारी/सदस्य सचिव गौतमबुद्धनगर।
4. जिला विकास अधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
5. उपजिलाधिकारी दादरी/सदर/जेवर।
6. क्षेत्राधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड नोएडा।
7. क्षेत्राधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड ग्रेटर नोएडा।
8. जिला पंचायत राज अधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
9. अधिशासी अभियंता, भूगर्भ जल विभाग, गौतमबुद्धनगर।
10. अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग, गौतमबुद्धनगर।
11. श्री अभीष्ट कुसुम गुप्ता, पर्यावरणविद-विशेष आमंत्रित सदस्य जिला वेटलैण्ड समिति गौतमबुद्धनगर।
12. समस्त खण्ड विकास अधिकारी गौतमबुद्धनगर।

जिलाधिकारी, /अध्यक्ष  
जिला आर्द्र भूमि समिति,  
गौतमबुद्धनगर

**कार्यवृत्त:-**

दिनांक 13-06-2025 को अपराह्न 1.00 बजे श्री मनीष कुमार वर्मा, जिलाधिकारी, महोदय, गौतमबुद्धनगर के निर्देशन में अपर जिलाधिकारी, वित्त एवं राजस्व की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार जिला वेटलैण्ड समिति की बैठक आयोजित की गयी। बैठक में एस0पी0 सिंह परमेश, जिला विकास अधिकारी, गौतमबुद्धनगर श्री प्रमोद कुमार, प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर, एवं अन्य जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर द्वारा बैठक में उपस्थित अधिकारियों का स्वागत किया गया। बैठक में नि 0<sup>म्</sup> न बिन्दुओं पर विचार-विमर्श किया गया:-

1. बैठक में प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर द्वारा अवगत कराया गया कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या-177/2022, अभीष्ट कुसुम गुप्ता बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा दिनांक 26.11.2024 को आदेश पारित किये गये हैं। मा0 न्यायालय के पारित आदेश के क्रम में तहसीलवार एवं जियों कॉर्डिनेट के साथ निर्धारित प्रारूप में पूर्ण एवं त्रुटिरहित सूचना प्रत्येक दशा में निम्न प्रारूप में एक सप्ताह के अन्दर अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), गौतमबुद्धनगर को उपलब्ध कराते हुये एवं प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर वन प्रभाग, गौतमबुद्धनगर को भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे, जिससे मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में ससमय प्रतिउत्तर दाखिल किया जा सके।

Name of the Pond with Geotag Area /Location	Encroachment/ Encroachment Free	Date till when it can be free	Rejuvenation/ Restoration plan for this pond	Timeline for each Activity	Closure date/ Commission Date	Details of funds allocated for the Rejuvenation of the pond	Total No. of ponds under 3 Tehsil	Encroach ment pending	Pending Case
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

(कार्यवाही समस्त उप जिलाधिकारी/समस्त प्राधिकरण/अधिकासी अधिकारी नगरपालिका दादरी)

2. बैठक में प्रभागीय वनाधिकारी/सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि जो तालाब विकास कार्यो के कारण नष्ट हो गये है अथवा जिनमें अतिक्रमण हो चुका है उन तालाबो को Mitigation में शामिल करने की कार्यवाही की जाये। पूर्व बैठक में भी इस संबंध में निर्देश दिये गये थे किन्तु वांछित कार्ययोजना प्राप्त नहीं हुई। समिति अध्यक्ष द्वारा निर्देश दिये गये कि उक्त कार्यवाही की कार्ययोजना बनाकर 24 घण्टे के अन्दर समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाये।

(कार्यवाही समस्त प्राधिकरण, समस्त उपजिलाधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी)

3. प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर द्वारा अवगत कराया गया कि विगत वर्षों में जनपद में तालाबो सुदृढीकरण करने के संबंध में कार्य किये गये है। उन तालाबो को सूचीबद्ध कर मय फोटोग्राफ के उपलब्ध कराने हेतु निर्देश दिये किये। (कार्यवाही समस्त प्राधिकरण, समस्त उपजिलाधिकारी, समस्त खण्ड विकास अधिकारी)

4. जनपद में स्थित 2.25 हेक्टर एवं उससे अधिक क्षेत्रफल की सूचना भी प्राथमिकता के आधार निर्धारित प्रपत्र में प्रभागीय वनाधिकारी, कार्यालय में उपलब्ध कराने हेतु बार-बार निर्देशित किया जा रहा है किन्तु वांछित सूचना प्राप्त नहीं हो रही है। समिति अध्यक्ष द्वारा निर्देश दिये गये कि वांछित सूचना निर्धारित प्रपत्र में तीन दिन के अन्दर उपलब्ध करा दी जाये।

**प्रारूप**

क्र0 सं0	तहसील का नाम	विकासखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	गाटा संख्या/स्वामित्व	वर्तमान स्थिति	गूगल इमेज	भौतिक सत्यापन करने वाले अधिकारी/कर्मचारी का नाम/पदनाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9

(कार्यवाही उपजिलाधिकारी, सदर, जेवर, समस्त प्राधिकरण, समस्त नगर पालिका,नगर पंचायत)

5. समिति अध्यक्ष द्वारा निर्देश दिये गये कि समस्त उप जिलाधिकारी, संबंधित प्राधिकरण से समन्वय स्थापित कर तालाबो एवं वेटलैण्ड की अद्यतन सूचना उपलब्ध करायेगें तथा समस्त उपजिलाधिकारी द्वारा धारा-67 के अन्तर्गत अतिक्रमण से संबंधित समस्त लम्बित वादो को प्राथमिकता के आधार पर यथाशीघ्र निस्तारित करते हुए अनुपालन आख्या निर्धारित समयावधि में उपलब्ध करायेगें तथा तालिकावार विवरण प्रस्तुत करेगें। इस संबंध में संबंधित उप जिलाधिकारी समय-समय पर आहुत बैठक में प्रभागीय वनाधिकारी गौतमबुद्धनगर को लिखित रूप में अवगत करायेगें। (कार्यवाही समस्त प्राधिकरण समस्त उपजिलाधिकारी, अधिकासी अधिकारी नगर पालिक)

6. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-4 उत्तर प्रदेश शासन की शासकीय पत्र संख्या 1171/81-4-2024 दिनांक 14-10-2024 द्वारा निर्देश प्राप्त हुए थे कि जनपद में ग्राम पंचायत स्तर पर आर्द्रभूमि समिति का गठन किया जाये। इस संबंध में प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर द्वारा अपने पत्र संख्या 2203/18-1 दिनांक 12-11-2024 द्वारा समस्त संबंधित को शासकीय पत्र संलग्न कर समिति के गठन हेतु पत्र प्रेषित किया गया था। बैठक में समिति अध्यक्ष द्वारा निर्देश दिये गये उक्त समिति के गठन हेतु जिला पंचायत राज अधिकारी, गौतमबुद्धनगर को नोडल अधिकारी, नामिति किया जाता है एवं निर्देशित किया गया है कि उक्त कार्यवाही पूर्ण कर आगामी बैठक में अवगत कराया जाये।

(कार्यवाही मुख्य विकास अधिकारी, गौतमबुद्धनगर/जिला पंचायत राज अधिकारी, गौतमबुद्धनगर, समस्त उपजिलाधिकारी, 7. जनपद में स्थित समस्त वेटलैण्ड की Ground truthing एवं Boundary Demarcation का कार्य कराये जाने के संबंध में जिलाधिकारी महोदय के पत्रांक 4223/18-1 दिनांक 26-03-2025 द्वारा निर्देश जारी किये गये थे। किन्तु अभी तक उक्त कार्य सम्पादित नहीं किया गया है। बैठक में निर्देश दिये गये कि पत्र में उल्लिखित निर्देशानुसार कार्यवाही पूर्ण कर अवगत कराया जाये। (कार्यवाही समस्त प्राधिकरण/समस्त उपजिलाधिकारी, समस्त क्षेत्रीय वन अधिकारी)

बैठक धन्यवाद के साथ समाप्त हुई।

(अतुल कुमार)  
अपर जिलाधिकारी  
गौतमबुद्धनगर

कार्यालय अपर जिलाधिकारी, (वि/रा0) गौतमबुद्धनगर

पत्रांक: 5723/18-1, दिनांक गौतमबुद्धनगर 24-06-2025।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित की संबंधित को यथोचित कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने की कृपा करें।

1. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण।
2. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नोएडा आद्योगिक विकास प्राधिकरण।
3. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण।

(अतुल कुमार)  
अपर जिलाधिकारी  
गौतमबुद्धनगर

पत्रांक 5723 / , दिनांकित।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य विकास अधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
2. अपर जिलाधिकारी वित्त/राजस्व गौतमबुद्धनगर।
3. प्रभागीय वनाधिकारी/सदस्य सचिव गौतमबुद्धनगर।
4. जिला विकास अधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
5. उपजिलाधिकारी दादरी/सदर/जेवर।
6. क्षेत्राधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड नोएडा।
7. क्षेत्राधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड ग्रेटर नोएडा।
8. जिला पंचायत राज अधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
9. अधिशासी अभियंता, भूगर्भ जल विभाग, गौतमबुद्धनगर।
10. अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग, गौतमबुद्धनगर।
11. श्री अभीष्ट कुसुम गुप्ता, पर्यावरणविद-विशेष आमंत्रित सदस्य जिला वेटलैण्ड समिति गौतमबुद्धनगर।
12. समस्त खण्ड विकास अधिकारी गौतमबुद्धनगर।

(अतुल कुमार)  
अपर जिलाधिकारी  
गौतमबुद्धनगर

# 1923

Proof of Service

74

**From:** Pranav Tanwar  
**To:** [simathews@gmail.com](mailto:simathews@gmail.com); [shome@nic.in](mailto:shome@nic.in); [up-env@gmail.com](mailto:up-env@gmail.com); [upstatewetlandauthority2018@gmail.com](mailto:upstatewetlandauthority2018@gmail.com); [chmn-cqwb@nic.in](mailto:chmn-cqwb@nic.in); [noida@noidaauthorityonline.com](mailto:noida@noidaauthorityonline.com); [dmgbn@nic.in](mailto:dmgbn@nic.in); [grievance@uppcb.com](mailto:grievance@uppcb.com); [ceo@gnida.in](mailto:ceo@gnida.in); [upgwd.in@gmail.com](mailto:upgwd.in@gmail.com)  
**Cc:** Prem Prakash Tiwari  
**Subject:** RE: Action taken report | O.A. NO. 177 OF 2022 [ABHIST KUSUM GUPTA v. STATE OF UTTAR PRADESH AND ORS.] | Yamuna Expressway Industrial Development Authority  
**Date:** 15 July 2025 16:31:47  
**Attachments:** [20250715 YEIDA Action taken report.pdf](#)  
[image001.png](#)  
[image002.png](#)  
[image003.png](#)  
[image004.png](#)

---

Respected Sir/Ma'am,

Pursuant to the Hon'ble National Green Tribunal's order dated 19 March 2025 in O.A. No. 177 of 2022, acting on behalf of Yamuna Expressway Industrial Development Authority/ Respondent No. 10 in the captioned matter, we are filing the action taken report.

Please find the attached the action taken report in the captioned matter, being filed before the Hon'ble NGT, Delhi, by way of advance service upon you.

Regards

**Pranav Tanwar**  
Senior Associate  
JSA Advocates & Solicitors